


राजस्थान : वर्तमान वित्तीय स्थिति

(Rajasthan : A Study of State Finances)

राज्य सरकार की आय, कर्ज एवं घाटे का अध्ययन एवं विश्लेषण



मुकेश कुमार बंसल

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

अध्ययन अथवा शोध उद्देश्य हेतु इस किताब के तथ्य एवं आंकड़े किताब के सन्दर्भ के साथ उपयोग किये जाने योग्य ।

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र[©]

प्रथम संस्करण

प्रकाशक : बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

मुद्रक : प्रिंट मिडिया सर्विसेज

निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर –302012

राजस्थान : वर्तमान वित्तीय स्थिति

अनुक्रम

<u>क्र. सं.</u>	<u>विषय –वस्तु</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
II	अनुक्रम	II
	सारणी सूची	VI
	ग्राफ सूची	VI
	प्रस्तावना	VII
1.	वित्त प्रबंधन : परिचय	
	<ul style="list-style-type: none">वित्त प्रबंधन एवं लोक वित्त : परिभाषा एवं अवधारणालोक वित्त एवं बजटसंवैधानिक प्रावधानवित्त आयोगसरकार का कर्ज लेने का अधिकारराजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM Act)योजना आयोग	
2.	वित्तीय स्थिति के संकेतक	
	<ul style="list-style-type: none">वित्तीय संकेतक : परिचय<ul style="list-style-type: none">(i) राजस्व घाटा (Revenue Deficit)(ii) पूंजीगत घाटा (Capital Deficit)(iii) बजटीय घाटा (Budget Deficit)(iv) राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)(v) प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)वित्त आयोग और राजकोषीय उत्तरदायित्व और प्रबंधन अधिनियम	

3. विगत वर्षों में राज्य की वित्तीय स्थिति

(i) राजस्व घाटा

- बजट में राजस्व घाटे का तात्पर्य
- राज्य की राजस्व प्राप्तियां
- आर्थिक मंदी : कर संग्रहण पर प्रभाव
- विगत वर्षों में राजस्व घाटा
- राजस्व घाटे में वृद्धि के कारण

(ii) पूंजीगत घाटा (Capital Deficit)

- परिभाषा
- विगत वर्षों में पूंजीगत घाटा
- पूंजीगत घाटे का प्रभाव

(iii) बजटीय घाटा (Budget Deficit)

- परिभाषा
- विगत वर्षों में बजटीय घाटा

(iv) राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)

- परिभाषा
- विगत वर्षों में राजकोषीय घाटा
- राजकोषीय घाटा बढ़ने का कारण

(v) प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)

- परिभाषा
- विगत वर्षों में प्राथमिक घाटा

4. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM Act) 2006

- उद्देश्य
- अधिनियम के दिशा निर्देशों के अनुसार लक्ष्य
- 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशें
- राज्य अर्थव्यवस्था और घाटे
- राजस्व घाटा : राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में
- राजकोषीय घाटा : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में

5. राज्य की कुल देनदारियां एवं कर्ज का बढ़ता बोझ

- राज्य पर बकाया देनदारियों के बारे में बजट पुस्तकों में जानकारी का अभाव
- ब्याज अदायगियां : राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में
- राज्य पर बकाया कुल कर्ज
- राज्य के लिए ऋण स्रोत
- विभिन्न स्रोतों से ली गई ऋण राशि

6. वित्त आयोग और राज्य की बकाया देनदारियां

- केन्द्रीय वित्त आयोग : परिचय एवं कार्य
- राज्य वित्त आयोग : परिचय एवं कार्य
- 12वें एवं 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशें
- वित्त आयोग की सिफारिशें एवं राज्य की वित्तीय स्थिति के आंकड़ें
 - 12वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिशें
 - सिफारिशों के अनुसार महत्त्वपूर्ण प्रावधान
- वित्त आयोग की सिफारिशें और राज्य बजट के आंकड़ें
 - राजस्व घाटा (राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में)
 - राजस्व घाटे में कमी किए जाने पर जोर क्यों ?
 - राजकोषीय घाटा (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में)

राजस्थान : वर्तमान वित्तीय स्थिति

- ब्याज अदायगियां और राजस्व प्राप्तियों का अनुपात
 - राज्य का कुल बकाया ऋण एवं जीएसडीपी अनुपात
 - राज्यों द्वारा लघु बचत निधी से प्राप्त ऋण
 - केन्द्र द्वारा राज्यों की उधार सीमा तय करने का फार्मूला
- राज्य द्वारा बकाया देनदारियों का भुगतान
 - राज्य द्वारा बकाया देनदारियों में वर्ष 2017–18 के बाद अत्यधिक वृद्धि

सन्दर्भ सामग्री (References)

राजस्थान : वर्तमान वित्तीय स्थिति

सारणी सूची

क्र. सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	वित्त आयोग और एफआरबीएम एक्ट के अनुसार निर्धारित लक्ष्य	
2.	राज्य के कर राजस्व में वृद्धि दर	
3.	राज्य में राजस्व घाटा	
4.	विगत वर्षों के दौरान राज्य में पूंजीगत घाटे की प्रवृत्ति	
5.	विगत वर्षों के दौरान राज्य में बजटीय घाटा	
6.	राज्य में राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति	
7.	विगत वर्षों के दौरान राज्य में प्राथमिक घाटे की प्रवृत्ति	
8.	राज्य अर्थव्यवस्था, एफबारबीएम एक्ट के तहत निर्धारित घाटे एवं इनकी प्रवृत्ति	
9.	राज्य द्वारा प्रतिवर्ष लिया गया उधार एवं सकल देनदारियों हेतु चुकाई गई ब्याज की राशि	
10.	राज्य की कुल बकाया देनदारियों का वर्गीकरण	
11.	12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्य को केन्द्र से ऋण माफी राशि	
12.	राज्य का वित्तीय स्तर एवं 12वें तथा 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों का तुलनात्मक अध्ययन	

ग्राफ सूची

क्र. सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय में वृद्धि की तुलना	
2.	राज्य में राजस्व घाटे की प्रवृत्ति	
3.	राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी के प्रतिशत रूप में)	
4.	राज्य की ब्याज अदायगियां	
5.	राज्य पर कुल बकाया ऋण – जीएसडीपी अनुपात	

प्रस्तावना

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र पिछले लगभग 10 वर्षों से राजस्थान सरकार के बजट एवं विकास नीतियों का अध्ययन एवं विश्लेषण करता रहा है।

राज्य सरकार के बजट के अध्ययन में अधिकतर हमारा ध्यान सरकार के खर्चों पर होता है तथा हम राज्य सरकार से सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण विषयों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, कृषि, ग्रामीण विकास आदि पर अधिक से अधिक खर्च करने की मांग करते रहते हैं।

परन्तु सरकार की आय के स्रोतों को समझे बिना सरकारी खर्च का विश्लेषण पूर्ण नहीं हो सकता। राज्य सरकार के आय एवं व्यय में गहरा संबंध है। सरकार के आय तथा व्यय का प्रबंधन अर्थशास्त्र में लोक वित्त का विषय है, तथा यह पुस्तिका राजस्थान के संदर्भ में सरकार की वित्तीय स्थिति की वास्तविकता से परिचय कराती है।

राज्यों की आय उनके द्वारा कर लगाने, उगाहने, कर माफ करने, कर्ज लेने, ब्याज चुकाने आदि ऐसे विषय हैं जिन पर सरल भाषा में साहित्य उपलब्ध नहीं है। यह पुस्तिका इस कमी को पूरा करने का एक छोटा प्रयास है। जाहिर है इस विषय पर अधिक कार्य किये जाने तथा विकास की दृष्टि से इसे ठीक से समझने की आवश्यकता है।

हमें इस पुस्तिका पर आपके विचारों, टिप्पणियों तथा सुझावों को पाकर प्रसन्नता होगी।

धन्यवाद

नेसार अहमद
समन्वयक

1. वित्त प्रबंधन : परिचय

वित्त प्रबंधन एवं लोक वित्त : परिभाषा एवं अवधारणा

अर्थशास्त्र में वित्त प्रबंधन से तात्पर्य धन और संपदा के प्रबंधन से लिया जाता है। वित्त एक विस्तृत क्षेत्र है जो कि अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ विषय है। पारिभाषिक रूप से—

“वित्त एक ऐसा विषय है जो कि व्यक्तिगत, कंपनियों और देशों की सम्पदा की अवधारणा, उसका उपयोग एवं उनकी संरचनात्मक व्यवस्था को कम और अधिक अवधि के लिए प्रभावित करता है।”¹

दूसरे शब्दों में, वित्त धन का अध्ययन है जो कि यह बताता है कि धन का उपयोग कैसे किया जाए ? धन और समय के बीच के संबंध को समझने के लिए वित्त एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसे अलग अलग कार्यक्षेत्रों, उनके कार्यों और उद्देश्यों के अनुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसे – व्यापार वित्त, वित्त बाजार, बैंकिंग वित्त, व्यक्तिगत वित्त एवं लोक वित्त आदि। प्रस्तुत पुस्तक में लोक वित्त पर चर्चा की गई है जो कि वित्तीय अर्थशास्त्र का ही एक विषय है।

“लोक वित्त अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो कि सार्वजनिक विभागों एवं उपक्रमों के आय व्यय के अध्ययन से संबंधित है। लोक वित्त के अंतर्गत सरकार की कर राजस्व नीति एवं उसके द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के तहत किए जाने वाले व्यय का अर्थव्यवस्था और उस अर्थव्यवस्था में शामिल लोगों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में, लोक वित्त इस बात का अध्ययन करता है कि सरकार किस प्रकार आय प्राप्त करती है और किस प्रकार खर्चा करती है ताकि अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति हो सके।”²

लोक वित्त एवं बजट

अर्थशास्त्र के अंतर्गत समाज के आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत लोक वित्त की गतिविधियों में बजट अत्यंत महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। अर्थात् समाज में संचालित विभिन्न आर्थिक ईकाईयों संचालन एवं उनके आय व्यय के बारे में महत्वपूर्ण निर्णयों हेतु बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बजट के बारे में विस्तृत चर्चा बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र के प्रकाशन “बजट अध्ययन : एक परिचय” में की गई है। इस संदर्भ में, प्रस्तुत पुस्तक में बजट के बारे में केवल संक्षिप्त पारिभाषिक जानकारी दी जा रही है:

बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसमें किसी निर्धारित अवधि में सरकार के आय एवं व्यय का अनुमान दिया जाता है। सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद (केन्द्र सरकार द्वारा) अथवा विधानसभा (राज्य सरकार द्वारा) में प्रस्तुत किया जाता है। बजट में तीन वर्षों की आय—व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है जो कि इस प्रकार है :

- गत वित्तीय वर्ष की वास्तविक आय—व्यय का लेखा जोखा (Actual Expenditure-AE)
- चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संशोधित आय—व्यय अनुमान (Revised Estimate-RE)

¹ Banks, Erik, The world of Finance “The Basics”, Page no.3, Edition 2010

² Jain, T.R., Public Finance-An Introduction, “Public Finance and International Trade, Page No. 3, 2009-10

- आगामी वित्तीय वर्ष हेतु आय-व्यय के बजट अनुमान (Budget Estimate-BE)

लोक वित्त के संचालन में बजट अत्यंत महत्त्वपूर्ण औजार है। भारतीय संविधान में बजट सहित लोक वित्त से जुड़ी गतिविधियों एवं संस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

संवैधानिक प्रावधान

इस भाग में लोक वित्त के संवैधानिक प्रावधानों का विवरण दिया गया है

केन्द्रीय बजट : बजट महज एक सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र नहीं बल्कि एक संवैधानिक आवश्यकता है। भारतीय संविधान के भाग-5 में अनुच्छेद 112 के अनुसार

“राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवायेगा जिसे इस भाग में “वार्षिक वित्तीय विवरण” कहा गया है।”³

केन्द्रीय बजट देश के वित्त मंत्री द्वारा फरवरी माह के अंतिम कार्यदिवस पर संसद में पेश किया जाता है।

राज्य बजट : केन्द्रीय बजट के समान राज्यों के लिए भी बजट का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। जिसे संविधान के भाग-6 में अनुच्छेद 202 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है—

“राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों (विधान परिषद एवं विधान सभा) के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवायेगा जिसे इस भाग में “वार्षिक वित्तीय विवरण” कहा गया है।”⁴

आमतौर पर बहुत से राज्यों में वित्त विभाग मुख्यमंत्री के अधीन रहता है, इसलिये जिन राज्यों में वित्त विभाग राज्य के मुख्यमंत्री के अधीन होता है, वहां पर राज्य बजट मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया जाता है।

वित्त आयोग

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत केन्द्रीय स्तर पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसी प्रकार राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है।

- **केन्द्रीय वित्त आयोग** : केन्द्रीय वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केन्द्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों को निर्धारित करना है। इसके अंतर्गत आयकर, उत्पाद शुल्क जैसे केन्द्रीय करों का केन्द्र व राज्यों के बीच बंटवारा करना, राज्यों को दिए जाने वाले ऋण एवं अनुदान का निर्धारण किए जाना आदि शामिल हैं। वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों को केन्द्र सरकार

³ Source: www.lowmin.nic.in, Constitution of India, Part 5, Article 112

⁴ Source: www.lowmin.nic.in, Constitution of India, Part 6, Article 202

एवं राज्यों द्वारा अमल में लाया जाता है। वित्त आयोग के कार्यों को प्रमुख रूप से तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है⁵:

- केन्द्र व राज्यों के बीच आयकर व अन्य करों के विभाजन का निर्धारण करना।
- भारत की संचित निधी से राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों का निर्धारण करना।
- संघ द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले ऋणों का निर्धारण करना।

वित्त आयोग उपर वर्णित विषयों पर अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। वित्त आयोग की सिफारिशें 5 वर्षों के लिए होती हैं। वर्तमान में 13वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हैं, जिसकी अवधि वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक हैं।

राज्य वित्त आयोग : भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के तहत राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग के प्रमुख कार्यों में राज्य एवं स्थानीय निकायों-शहरी निकायों, जिला परिषदों एवं ग्राम पंचायतों के बीच करों का निर्धारण एवं बंटवारा तय किए जाना, पंचायतों को दिये जाने वाले अनुदानों की सीमा निर्धारण करना आदि शामिल हैं। राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। राज्य वित्त आयोग 5 वर्ष की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। राज्य में 15 सितम्बर 2005 को तृतीय राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। इसका कार्यकाल वर्ष 2010 में समाप्त हो चुका है। दिनांक 13 अप्रैल 2011 को चौथे राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसे 31 दिसम्बर 2011 तक अपनी सिफारिशें देनी हैं। आयोग द्वारा 1 अप्रैल 2010 से प्रारम्भ होने वाली 5 वर्ष की अवधि के लिए सिफारिशें दी जायेंगी।

सरकार का कर्ज लेने का अधिकार

आमतौर पर माना जाता है कि सरकार को प्राप्त होने वाली आय, इसके खर्चों के अनुरूप पर्याप्त नहीं होती है, जिसके लिए सरकारों को भी कर्ज लेना पड़ता है। इस बात को लेकर विभिन्न अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों में मतभेद पाया जाता है कि सरकार द्वारा लिया गया कर्ज राज्य के विकास के लिए उचित है या नहीं। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उत्पादन वृद्धि के साथ साथ अन्य आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए एवं इनके द्वारा राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है जिससे राज्य में उत्पादन बढ़ता है, रोजगार में वृद्धि होती है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है आदि।

दूसरी तरफ कुछ अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर्ज राज्य की देनदारियों को बढ़ावा देता है, ब्याज का बोझ बढ़ता है जिससे सरकार द्वारा करों में वृद्धि करने पर आम आदमी को अधिक कर्ज चुकाना होता है, महंगाई बढ़ती है, राज्य का आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है आदि। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह माना जा सकता है कि सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर्ज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि देश विदेश के अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के बीच

⁵ Source: <http://fincomindia.nic.in>

एक चर्चा का विषय है।

सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर्ज के बारे में भारतीय संविधान में प्रावधान दिए गये हैं। संविधान के अनुसार केन्द्र सरकार के साथ साथ राज्यों को भी निश्चित सीमाओं के भीतर कर्ज लेने का अधिकार है। केन्द्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले उधार को भारतीय संविधान के भाग-12 में अध्याय-2 में अनुच्छेद 292 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है-

“भारत सरकार द्वारा उधार लेना संघ की कार्यपालिका का विस्तार, भारत की संचित निधी की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, जिन्हें संसद समय-समय पर विधी द्वारा नियत करे, उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए, प्रत्याभूति देने तक है।”⁶

अर्थात् भारत सरकार द्वारा कार्यपालिका के विस्तार हेतु अथवा भारत की संचित निधी के बतौर प्रतिभूति (सिक्योरिटी) पर भारतीय संसद द्वारा नियत की गई सीमाओं के अंतर्गत उधार लिया जा सकता है।

इसी प्रकार राज्य सरकारों द्वारा लिए जाने वाले उधार को भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले उधार को भारतीय संविधान के भाग-12 में अध्याय-2 में अनुच्छेद 293 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है-

“राज्यों द्वारा उधार लेना-(1) इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य की कार्यपालिका का विस्तार उस राज्य की संचित निधी की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, जिन्हें ऐसे राज्य का विधान-मंडल समय-समय पर विधी द्वारा नियत करे, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए, प्रत्याभूति देने तक है।”⁷

अर्थात् राज्य सरकार द्वारा कार्यपालिका के विस्तार हेतु अथवा राज्य की संचित निधी के बतौर प्रतिभूति (सिक्योरिटी) पर राज्य के विधान-मंडल द्वारा नियत की गई सीमाओं के अंतर्गत उधार लिया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान में बताया गया है कि यदि किसी राज्य पर केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में दिया गया कर्ज बकाया है अथवा ऐसा कर्ज बकाया है जिसकी प्रतिभूति केन्द्र सरकार ने दी थी, केन्द्र सरकार की सहमति के बिना राज्य केन्द्र से नया कर्ज प्राप्त नहीं कर सकता।

इस प्रकार दिए गये तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा लिए जाने वाला कर्ज एक संवैधानिक प्रावधान है जो कि नियत सीमाओं के भीतर लिया जा सकता है। आमतौर पर विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार द्वारा लिए गये कर्ज से भी अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि कर्ज के रूप में ली गई राशि का उपयोग कैसे हो रहा है। इस राशि का उपयोग उत्पादक कार्यों जैसे राज्य में सम्पत्ति निर्माण, रोजगार को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों में किया जा रहा है या फिर पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने जैसे अनुत्पादक कार्यों में किया जा रहा है। क्योंकि अगर लिए गये कर्ज की राशि से राज्य में रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है तो इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार से प्राप्त लाभों को कर्ज से प्राप्त राशि के

⁶ Source: www.lowmin.nic.in, Constitution of India, Part 12, Article 292

⁷ Source: www.lowmin.nic.in, Constitution of India, Part 12, Article 293 (1)

द्वारा प्राप्त सकारात्मक परिणामों की संज्ञा दी जा सकती है। इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा आगे अध्याय में की गई है।

राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBMAct)

सरकारी रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2003 से पूर्व सरकार की लगातार बढ़ती देनदारियों से राजस्व एवं राजकोषीय घाटे⁸ में उत्तरोत्तर हो रही वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था में असंतुलन का खतरा बढ़ रहा था। अतः राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे में कमी करने के साथ-साथ ऋण प्रबंधन के विवेकपूर्ण उपयोग एवं सरकार के वित्तीय कार्यकलापों में पारदर्शिता एवं बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBMAct) लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार सभी राज्य सरकारों को भी एक ऐसा ही अधिनियम बनाना था। इसे संक्षेप में एफआरबीएम एक्ट (Fiscal Responsibility and Management -FRBM Act) कहते हैं।

- **केन्द्रीय स्तर पर :** भारतीय संसद द्वारा अगस्त 2003 में वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2003 में मंजूरी प्रदान की गई। जुलाई 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने एफआरबीएम एक्ट के तहत नियमों की अधिसूचना जारी की।

अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य-देश की राजकोषीय प्रबंधन व्यवस्था में पारदर्शिता लाना, ऋण प्रबंधन का उचित समायोजन एवं अर्थव्यवस्था में दीर्घ अवधि हेतु वित्तीय स्थिरता लाना आदि हैं। इस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन को सुधारने के लिए राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे, ऋण/उधार की उच्चतम सीमा निर्धारित कर इन्हे सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रूप में प्रतिवर्ष लक्ष्य निर्धारित किए जाना सुनिश्चित किया गया। एफआरबीएम एक्ट के तहत केन्द्र सरकार द्वारा बजट पेश करते समय प्रतिवर्ष 3 प्रकार के निम्नलिखित परिपत्र पेश किए जाना तय किया गया :

- मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण
- राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण
- वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण।

इन तीनों विवरण परिपत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक संकेतकों का मूल्यांकन, आगामी कार्ययोजना के बारे में जानकारी और वृहद अथवा राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूपरेखा के बारे में विवरण दिया होता है।

⁸ अगले अध्याय में घाटे की अवधारणा पर विस्तृत चर्चा की गई है।

- **राज्य स्तर पर :** राज्य स्तर पर राजकोषीय प्रबंधन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने, ऋण प्रबंधन का उचित समायोजन एवं अर्थव्यवस्था में दीर्घ अवधि हेतु वित्तीय स्थिरता लाने के उद्देश्य से राजस्थान में राजस्थान राजवित्तीय उत्तदायित्व एवं प्रबंधन अधिनियम 2006 लागू किया गया। राज्य में इस अधिनियम को लागू किये जाने के उद्देश्यों के अंतर्गत आर्थिक एवं नीतिगत सुधारों के अतिरिक्त मानव विकास एवं सामाजिक कल्याण को भी शामिल किया गया। जिसके अनुसार

“राज्य सरकार, पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देने के लिए मानक निर्धारित करेगी और ऐसी व्यय नीतियों का अनुसरण करेगी जिससे आर्थिक विकास, गरीबी कम करने और मानव कल्याण के सुधार को गति मिले।”⁹

एफआरबीएम एक्ट के तहत राज्य सरकार द्वारा बजट के साथ प्रतिवर्ष निम्नलिखित परिपत्र राज्य विधान मण्डल के सदन (विधान सभा) के समक्ष पेश किए जाना तय किया गया :

- मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण
- राजवित्तीय नीति युक्त विवरण।

इस अधिनियम के तहत राज्य के वित्तीय प्रबंधन हेतु कुछ वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गये जिनके बारे में आगे विस्तृत चर्चा की गई है।

योजना आयोग

देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने 1950 में योजना आयोग की स्थापना की ताकि देश की भौतिक पूंजी एवं मानवीय संसाधनों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाए और इनका अधिक संतुलित उपयोग किया जाए। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है अर्थात् भारतीय संविधान में योजना आयोग की स्थापना के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। इसी प्रकार योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है क्योंकि संसद में इसके लिए कोई कानून पारित नहीं किया गया है। योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में भारत सरकार द्वारा कार्यकारी संकल्प के तहत की गई थी।

योजना आयोग का प्रमुख उद्देश्य सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर अधिकतम कल्याण की प्राप्ति हेतु योजनाएं बनाना है। आयोग द्वारा समय समय पर देश में उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप तैयार करता है और योजना के दौरान मध्यावधि विश्लेषण भी करता है। आजकल योजना आयोग लम्बी अवधि के लिए दीर्घावधि लक्ष्यों का निर्धारण कर, इनके अनुरूप योजना प्रारूप को भी पंचवर्षीय योजना प्रारूप में शामिल करने पर जोर दे रहा है। योजना आयोग केन्द्र व राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं को लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर वर्ष जनकल्याण हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की जाने वाली योजनाओं का प्रारूप आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है।

⁹ राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 अधिसूचना प्रपत्र, राजस्थान सरकार, दिनांक 3 मई 2005

राजस्थान : वर्तमान वित्तीय स्थिति

हालांकि योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है फिर भी देश के विकास तथा आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। चूंकि राज्यों द्वारा बनाए गये पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं की अंतिम रूप से योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी जाती है। अतः राज्य बजट तथा राज्य वित्त के निर्धारण में योजना आयोग की अपरोक्ष भूमिका होती है।

प्रस्तुत अध्याय में लोक वित्त की अवधारणा, परिभाषा एवं क्षेत्र विषय के अतिरिक्त बजट, संवैधानिक प्रावधान, बजट से संबंधित सरकारी संस्थाएं एवं आयोग (वित्त आयोग, योजना आयोग आदि), एफआरबीएम एक्ट आदि के बारे में प्रारम्भिक जानकारी दी गई। जबकि इसके अगले अध्याय "वित्तीय संकेतक" में बजट विषय क्षेत्र में होने वाले घाटों के बारे में पारिभाषिक जानकारी दी जा रही है।

2. वित्तीय स्थिति के संकेतक

वित्तीय संकेतक : परिचय

जैसा कि पूर्व में चर्चा की गई है कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए राज्य की आय के अनेक स्रोत होते हैं एवं व्यय के कई मद होते हैं। राज्य की आय एवं व्यय के आधार पर राज्य की अर्थव्यवस्था की स्थिति के साथ साथ वित्तीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का भी पता चलता है। राज्य की आय अनेक स्रोतों से होती है जैसे— कर राजस्व, सहायतार्थ अनुदान, उधार से प्राप्तियां, फीस एवं शुल्क आदि। इसी प्रकार विभिन्न मदों पर खर्चा किया जाता है जैसे—राजस्व व्यय, संपत्तियों के निर्माण पर किया गया पूंजीगत व्यय, ब्याज अदायगियां, पुराने ऋणों की अदायगी आदि। राज्य की आय एवं खर्च के आधार पर लाभ अथवा घाटे का आंकलन किया जाता है, जो राज्य वित्तीय स्थिति के बारे में जानने में सहायक होते हैं। इस क्रम में यहां पर पांच प्रकार के घाटों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है, जिन्हें आंकड़ों के आधार पर बताया गया है।

- (i) राजस्व घाटा (Revenue Deficit)
- (ii) पूंजीगत घाटा (Capital Deficit)
- (iii) बजटीय घाटा (Budget Deficit)
- (iv) राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)
- (v) प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)

(i) राजस्व घाटा (Revenue Deficit)

आमतौर पर सरकार को कर, शुल्क, ब्याज आदि से राजस्व के रूप में नियमित रूप से जो आय प्राप्त होती है वह राजस्व आय कहलाती है। जबकि राज्य कर्मचारियों के वेतन व पेंशन, कार्यालय प्रबंधन, ब्याज अदायगियों, सब्सिडी जैसे नियमित रूप से किए जाने वाले व्यय राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। अगर सरकार की राजस्व आय, राजस्व व्यय की तुलना में ज्यादा हो तो इसे राजस्व आधिक्य कहा जाता है और राजस्व व्यय, राजस्व आय की तुलना में अधिक होने पर राजस्व घाटा कहलाता है।

राजस्व आय – राजस्व व्यय = राजस्व घाटा या राजस्व आधिक्य¹⁰

आमतौर पर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि राजस्व व्यय अधिक होने पर सरकार अपने नियमित खर्चों को (राजस्व व्यय) की पूर्ति राजस्व आय से नहीं कर पाती है जिसके लिए सरकार को बाजार से अथवा अन्य स्रोतों से उधार लेना पड़ता है। इससे दोहरा बोझ बढ़ने की संभावना हो जाती है – एक तो उधार लेने के कारण राज्य की देनदारियों में वृद्धि और दूसरी सरकार द्वारा राजस्व आय में बढ़ोतरी करने हेतु करों में वृद्धि। यद्यपि जैसा कि पूर्व में भी चर्चा की गई है कि सरकार द्वारा उधार लिए जाने का संवैधानिक प्रावधान तो है ही उसके अतिरिक्त इससे अर्थव्यवस्था में धन की तरलता बढ़ती है, रोजगार को बढ़ावा मिलता है आदि।

लेकिन सरकार की इस नीति के आलोचकों का यह भी मानना है कि राजस्व आय बढ़ाने चक्कर में वस्तुओं पर कर बढ़ाने के साथ करयुक्त वस्तुओं के दायरे को भी बढ़ावा दिया जाता है

¹⁰ दोनों (प्राप्तियां-व्यय) का अन्तर धनात्मक हो तो राजस्व आधिक्य होगा और यदि अन्तर ऋणात्मक हो तो राजस्व घाटा होगा।

जिससे आम उपभोक्ता के लिए वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि जब सरकार द्वारा वेतन, प्रबंधन आदि पर अधिक व्यय किया जाता है तो इससे राजस्व व्यय में बढ़ोतरी होती है, राजस्व घाटा बढ़ता है और इसके लिए या तो बाहर से कर्जा लिया जाता है या फिर वस्तुओं पर कर बढ़ाया जाता है। अर्थशास्त्रियों के शब्दों में

“जब सरकार प्रशासन की ओर प्रबंधन पर अधिक खर्च करने लगती है तो सरकार द्वारा इसकी पूर्ति हेतु करों में वृद्धि की जाती है जो कि गरीब वर्ग के द्वारा अतिरिक्त कर के बोझ के रूप में सहन करना बहुत मुश्किल होता है।¹¹

विगत वर्षों के आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों के दौरान राज्य का राजस्व घाटा बढ़ रहा था लेकिन राजकोषीय प्रबंधन के तहत इसमें सुधार हुआ है। राजस्थान राज्य में विगत वर्षों के दौरान राजस्व घाटे की स्थिति, इसके प्रभाव एवं इसे नियंत्रण की स्थिति में लाने हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के बारे में आगे चर्चा की गई है।

(ii) पूंजीगत घाटा (Capital Deficit)

सरकार को एक मुश्त प्राप्त होने वाली आय (जैसे नये ऋण की प्राप्ति, पूर्व में बकाया ऋण की वसूली आदि), राज्य सरकार की किसी संपत्ति जैसे जमीन, भवन आदि के बेचान से प्राप्त होने वाली राशि पूंजीगत आय की श्रेणी में आती है। पूंजीगत प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत लोक ऋण से प्राप्त होने वाली राशि मानी जाती है। आमतौर पर सरकार द्वारा राज्य में स्थाई संपत्ति निर्माण करने और अपनी देनदारियां कम करने के लिए चुकाया गया मूलधन पूंजीगत खर्च के मुख्य अवयव होते हैं। दूसरे शब्दों में, पूंजीगत व्यय के द्वारा सरकार की वित्तीय देनदारियों में कमी आती है (जैसे कर्ज का मूलधन चुकाकर)। राज्य में स्थाई संपत्तियों का निर्माण पूंजीगत खर्च से किया जाता है जिनसे राज्य की जनता सीधे तौर पर लाभान्वित होती है। “ऐसी प्राप्तियां जो कि सरकार के दायित्वों में वृद्धि करे (जैसे: लोक ऋण) या सार्वजनिक संपत्तियों को कम करे (जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त राशि), पूंजीगत खाते में प्राप्तियों के रूप में मानी जायेंगी जबकि इसके विपरीत ऐसे व्यय जो कि सार्वजनिक संपत्तियों में वृद्धि करें जैसे निवेश के रूप में किया गया व्यय, नवीनीकरण, सुधार, नये आविष्कार इत्यादि या फिर सार्वजनिक दायित्वों में कमी करें (जैसे लोक ऋण का पुर्नभुगतान, पेंशन और ग्रेच्युटी का रुपान्तरित भुगतान¹²) पूंजीगत खाते में व्यय के रूप में शामिल किये जाते हैं। अन्य सभी प्राप्तियां व भुगतान राजस्व खाते में शामिल किये जाते हैं।¹³

सरकार की पूंजीगत आय, पूंजीगत खर्च की तुलना में अधिक होने पर इसे पूंजीगत खाते में आधिक्य और पूंजीगत खर्च, पूंजीगत आय की तुलना में अधिक होने पर पूंजीगत घाटा कहा जाता है।

$$\text{पूंजीगत प्राप्तियां} - \text{पूंजीगत व्यय} = \text{पूंजीगत घाटा} / \text{पूंजीगत आधिक्य}^{14}$$

कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आजकल केन्द्र सरकार द्वारा अपने उपक्रमों का विनिवेशीकरण भी किया जा रहा है जिसका तात्पर्य है कि सरकार अपने कुछ उपक्रमों के वित्तीय अधिकारों को बेच कर विनिवेश के रूप से धन एकत्रित करती है, इसे सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेशीकरण कहा जाता है। गत वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार 22,700 करोड़ रु. उगाये गये जबकि

¹¹ Jain T.R., Trehan Mukesh & Ranju, Unit 14 -Government Budget, Business Environment, Revenue Deficit & its implications, Page No.185

¹²पेंशन का मासिक रूप से किए जाने वाला भुगतान वेतन के समान नियमित होने के कारण राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है जबकि पेंशन या ग्रेच्युटी का

एक साथ किए जाने वाला भुगतान पूंजीगत व्यय में शामिल किया जाता है साथ ही यह सरकार की देनदारियों में कमी करता है।

¹³ Gupta J.R., Fiscal Deficit of States in India, Conceptualisation of Fiscal Deficit, Page No.2, 2001

¹⁴ दोनों (प्राप्तियां-व्यय) का अन्तर धनात्मक हो तो पूंजीगत आधिक्य होगा और यदि अन्तर ऋणात्मक हो तो पूंजीगत घाटा होगा।

¹⁵ Source : <http://www.divest.nic.in>

चालू वित्त वर्ष 2011-12 में 40,000 करोड़ रु. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।¹⁵ उपक्रमों का विनिवेशिकरण, पूंजीगत प्राप्तियों में बढ़ोतरी करने में सहायक माना जा रहा है।

बजट आंकड़ों के आधार पर पता चलता है कि विगत 2-3 वर्षों से पूंजीगत खाते में आधिक्य हो रहा है। इस सन्दर्भ में कुछ आलोचकों का मानना है कि यह आधिक्य बजटीय आंकड़ों को संतुलित करने के लिए दिखावटी है और इसके साथ ही पूंजीगत खाते में आधिक्य सरकार की देनदारियों में वृद्धि कर रहा है। इसके पीछे इन विशेषज्ञों का तर्क है कि लगातार बढ़ते राजस्व घाटे के कारण इसकी पूर्ति हेतु सरकार को बाजार से उधार लेना पड़ता है इसके अलावा लघु बचतों और अन्य दायित्वों से जमा की गई रकम पूंजीगत खाते में जमा की जाती है जिससे पूंजीगत खाते में उधार, लघु बचत आदि से प्राप्त राशि जमा होने से पूंजीगत खाते में आधिक्य हो रहा है। इस कारण इन विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूंजीगत आधिक्य से यद्यपि राजस्व घाटे को संतुलित करने में तो सहायता मिलती है लेकिन दूसरी तरफ इसके कारण सरकार की देयताओं में भी बढ़ोतरी होती है।

(iii) बजटीय घाटा (Budget Deficit)

जैसा कि पहले बताया गया है, सरकार की आय एवं व्यय, राजस्व एवं पूंजीगत खातों में वर्गीकृत होती है। जब इन दोनों खातों में जमा आय या किए गये व्यय एक जगह जोड़ा जाता है तो राज्य की कुल आय एवं कुल व्यय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।

जब सरकार का कुल व्यय, कुल आय तुलना में अधिक होता है तो इसे बजटीय घाटा कहा जाता है जबकि जब राज्य की कुल आय, कुल व्यय की तुलना में अधिक होती है तो इसे बजटीय आधिक्य कहा जाता है।

कुल प्राप्तियां - कुल व्यय = बजटीय घाटा / बजटीय आधिक्य¹⁶

राज्य में पिछले वर्षों के दौरान बजटीय घाटे की प्रवृत्ति को आगे दर्शाया गया है।

(iv) राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)

आमतौर पर माना जाता है कि राजकोषीय घाटा किसी राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति के बारे में जानने में अन्य घाटों की तुलना में अधिक कारगर औजार है। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि राजकोषीय घाटा सरकार की कर्ज लेने की आवश्यकता को दर्शाता है। पारिभाषिक रूप में राज्य के बजटीय घाटे में से एक वर्ष की अवधि में राज्य द्वारा लिये गये शुद्ध उधार की राशि को घटाने के पश्चात शेष बची राशि राजकोषीय घाटे के नाम से जानी जाती है। दूसरे शब्दों में

“राजकोषीय घाटा, राज्य की कुल प्राप्तियों और कुल व्यय का अन्तर है, जिसमें राज्य द्वारा उधार ली गई राशि शामिल नहीं होती है।¹⁷

“सकल राजकोषीय घाटा शुद्ध राजस्व प्राप्तियों एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के योग में से कुल व्यय (ऋणों के शुद्ध पुर्नभुगतान सहित) का अन्तर होता है। यह एक माप है जो कि सरकार के गैर-ऋण संसाधनों में होने वाली कुल कमी का पता देता है।¹⁸

बजटीय घाटा - उधार एवं अन्य देयताएँ = राजकोषीय घाटा¹⁹

¹⁶ दोनों (प्राप्तियां-व्यय) का अन्तर घनात्मक हो तो बजट आधिक्य होगा और यदि अन्तर ऋणात्मक हो तो बजटीय घाटा होगा।

¹⁷ Gupta J.R., Fiscal Deficit of States in India, Conceptualisation of Fiscal Deficit, Page No. 5, 2001

¹⁸ Economic Survey, 2010-11, Ministry of Finance, Govt. of India

¹⁹ यदि अन्तर ऋणात्मक हो तो राजकोषीय घाटा होगा और आमतौर पर यह ऋणात्मक ही प्राप्त होता है।

आमतौर पर माना जाता है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि, सरकारों द्वारा अधिक कर्ज लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। जिससे राज्य की देनदारियों में वृद्धि होती है, ब्याज का बोझ बढ़ता है और कुल मिलाकर राजकोषीय घाटे में वृद्धि महंगाई में बढ़ोतरी का समर्थन करती है। लेकिन जैसा कि पूर्व में भी चर्चा की गई है कि लोक वित्त के कुछ मुद्दों पर अर्थशास्त्रियों के विचारों में विरोधाभास पाया जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि राजकोषीय घाटा बाजार में महंगाई को बढ़ावा देता है तो दूसरी तरफ कुछ अन्य विशेषज्ञों का तर्क है कि राजकोषीय घाटा, बाजार में मुद्रा तरलता को बढ़ाकर कुछ हद तक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ावा देता है जिसके लिए अर्थव्यवस्था में कुछ हद तक राजकोषीय घाटे की उपस्थिति को इसके समर्थकों द्वारा उचित ठहराया जाता है। इसके अतिरिक्त यह माना जाता है कि राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी से तरलता से हुई वृद्धि के फलस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की मांग एवं इनके उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है जबकि वैभव और विलासिता की वस्तुओं की मांग और उत्पादन दोनों में वृद्धि की संभावना होती है।

राजकोषीय घाटे के आलोचकों का तर्क है कि राजकोषीय घाटे से अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ने के कारण बाजार में रुपये की कीमत कम हो जाती है, वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने लगती है, जिससे कीमतों में वृद्धि के कारण महंगाई को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त माना जाता है कि राजकोषीय घाटे के कारण सरकार के लिए आन्तरिक ऋण का खतरा उतना नहीं रहता है जितना कि करों में बढ़ोतरी से आम आदमी के लिए वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आवश्यक नहीं है कि सरकार द्वारा खर्च में बढ़ोतरी से राजकोषीय घाटे को बढ़ावा मिलता है। बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार द्वारा किए गये खर्च का निर्गत अथवा उत्पादन कितना है, उस खर्च से राज्य की आय में कितनी वृद्धि हो रही है। सरकार द्वारा किए गये खर्च के परिणाम स्वरूप राज्य की कर राजस्व में वृद्धि भी हो सकती है।

आमतौर पर प्रतिवर्ष पेश किए जाने वाले बजट के माध्यम से केन्द्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय घाटे को कम किए जाने के प्रयास किए जाते हैं और इसे एक नियत स्तर तक लाने एवं इस स्तर तक बनाए रखने का प्रयास किए जाते हैं। राजकोषीय घाटे को नियत स्तर तक बनाए रखने के पीछे यह माना जाता है कि सरकार को उधार लेकर अर्थव्यवस्था को चलाने की नीति पर नियंत्रण करना चाहिए और राज्य अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए राज्य में उपलब्ध स्रोतों का सर्वोत्तम उपयोग करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(v) प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)

पारिभाषिक रूप में, राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटाने पर प्राप्त राशि प्राथमिक घाटा कहलाती है अर्थात् राजकोषीय घाटा और ब्याज देनदारियों के अन्तर को प्राथमिक घाटा कहा जाता है।

राजकोषीय घाटा – ब्याज देनदारियां = प्राथमिक घाटा

प्राथमिक घाटे से इस बात की जानकारी मिलती है कि सरकार द्वारा एक वर्ष में लिया गया कर्ज ब्याज अदायगियों के अलावा अन्य मदों पर कितना खर्च किया गया। अर्थात् प्राथमिक घाटा सरकार

द्वारा एक वर्ष में लिए गये कर्ज में से ब्याज चुकाने के बाद बची शेष राशि के बारे में जानकारी देता है कि कितनी राशि अन्य मदों पर व्यय की गई। प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होने का तात्पर्य है कि सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जितना नया कर्ज लिया गया है उससे भी अधिक राशि पुराने कर्ज पर ब्याज के रूप में चुकाई गई है।

वित्त आयोग और राजकोषीय उत्तरदायित्व और प्रबंधन अधिनियम

जैसा कि पूर्व में बताया गया है, राज्य में वित्तीय प्रबंधन को सुचारु रूप से चलाने के लिए संवैधानिक निकाय केन्द्रीय वित्त आयोग का गठन किया गया है। केन्द्र व राज्यों के बीच करों के बंटवारे का निर्धारण करने के अतिरिक्त वित्त आयोग राज्य की वित्तीय व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु भी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में आयोग राज्य की कर्ज लेने की सीमा, घाटों (राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा) को एक निश्चित अवधि में निर्धारित स्तर तक लाने की सिफारिशें प्रस्तुत करता है। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में बढ़ते असंतुलन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए राज्य में वर्ष 2006 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया। अधिनियम के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य को एक निश्चित अवधि तक अपनी देनदारियों और घाटों को एक नियत स्तर तक कम करना था।

गौरतलब है कि वित्त आयोग और एफआरबीएम एक्ट दोनों का उद्देश्य राज्य में वित्तीय व्यवस्था को सुधारना है। जिसके लिए दोनों के द्वारा अपने अपने स्तर पर सिफारिशें एवं लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। सारणी सं.1 में 12वें एवं 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों और एफआरबीएम एक्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों को दर्शाया गया है। सारणी में वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत केवल उन्ही सिफारिशों को दर्शाया गया है जो कि केवल राज्यों के लिए प्रस्तुत की गई थी। सारणी में दर्शाए गये लक्ष्यों के बारे में विस्तृत चर्चा और राज्य के संदर्भ में इनका विश्लेषण प्रस्तुत पुस्तक में आगे किया जाएगा।

इस प्रकार प्रस्तुत अध्याय में घाटों के बारे में पारिभाषिक जानकारी, राज्य अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभाव के अलावा इनके संबंध में वित्त आयोग एवं एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के बारे में जानकारी दी गई है। आगे प्रस्तुत अध्याय में विगत वर्षों के दौरान राज्य बजट में इन घाटों की प्रवृत्ति के बारे में बताया जाएगा।

सारणी सं. 1 वित्त आयोग और एफआरबीएम एक्ट के अनुसार निर्धारित लक्ष्य

वित्त आयोग		एफआरबीएम एक्ट 2005	
	12वां आयोग ²⁰	13वां आयोग ²¹	मई 2005 में जारी ²²
राजस्व घाटा	वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटा समाप्त किए जाना चाहिए।	2011-12 तक राजस्व घाटा समाप्त तथा राजस्व शेष बनाए रखना चाहिए और आगे भी इस अधिशेष को जारी रखा जाए।	वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा प्राप्त किया जाएगा और तत्पश्चात इसे बनाए रखा जाएगा अथवा राजस्व अधिशेष प्राप्त किया जाएगा।
राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रूप में) तक अथवा इसके समकक्ष होना चाहिए।	2011-12 तक राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रूप में) तक के स्तर पर लाना चाहिए और आगे भी इसी सीमा में रखा जाना चाहिए।	वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रूप में) तक लाना और बाद में इसे बनाए रखना अथवा कमी करना।
ऋण	वित्तीय वर्ष 2009-10 की समाप्ति पर राज्य का ऋण/जीडीपी अनुपात 30.8 प्रतिशत तक किए जाना चाहिए।	वित्तीय वर्ष 2014-15 तक राज्य का ऋण/जीडीपी अनुपात 25.0 प्रतिशत तक होना चाहिए।	वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए राज्य को अपने कुल बकाया ऋण को सकल राज्य के क्रमशः 39.3, 38.3, 37.3 और 36.5 प्रतिशत तक सीमित रखना ²⁴ ।
ब्याज देनदारियां	वित्तीय वर्ष 2009-10 की समाप्ति तक राज्य की ब्याज अदायगियां, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों के 15 प्रतिशत तक होना चाहिए।		

²⁰ Source : <http://fincomindia.nic.in>

²¹ Source : <http://fincomindia.nic.in>

²² अधिसूचना प्रपत्र, राजस्थान सरकार, मई 2005

²³ अधिसूचना प्रपत्र, राजस्थान सरकार, मार्च 2011

²⁴ अधिसूचना प्रपत्र, राजस्थान सरकार, 14 सितम्बर 2011

3. विगत वर्षों में राज्य की वित्तीय स्थिति

राज्य में आर्थिक गतिविधियों के संचालन में बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि राज्य की आय, व्यय, उधार इत्यादि बजट का ही हिस्सा हैं। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि राजस्व घाटा, बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा आदि राज्य बजट से जुड़े विषय हैं जो कि राज्य की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने में उपयोगी हैं। प्रस्तुत अध्याय में राज्य में विगत वर्षों के दौरान इन संकेतकों के साथ-साथ राजवित्तीय उत्तरदायित्व प्रबंधन अधिनियम एवं वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों एवं लक्ष्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

(i) राजस्व घाटा

बजट में राजस्व घाटे का तात्पर्य

राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय अधिक होने पर इसे राज्य अर्थव्यवस्था में राजस्व घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटा अधिक होने पर आमतौर पर यह माना जाता है कि राज्य को नियमित रूप से प्राप्त होने वाली राजस्व प्राप्तियां राज्य के राजस्व खर्च को पूरा नहीं कर पा रही हैं जिसकी पूर्ति के लिये राज्य सरकार को या तो बाहर से ऋण लेना पड़ता है या फिर कर की दरों में वृद्धि करनी पड़ती है।

राज्य की राजस्व प्राप्तियां

राज्य की प्राप्तियां : सारणी सं. 2 एवं ग्राफ सं. 1 में राज्य की राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व खर्चा बताया गया है। इनसे स्पष्ट है कि वर्ष 2005-06 के एवं इसके बाद वाले वर्षों 2006-07 एवं 2007-08 में राज्य की राजस्व प्राप्तियां, कुल राजस्व व्यय की तुलना में अधिक रहीं। वर्ष 2008-09 और 2009-10 में राज्य की राजस्व प्राप्तियों में बहुत गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों के मतानुसार इन दो वर्षों में राजस्व आय में गिरावट के कुछ कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण— आर्थिक मंदी के फलस्वरूप राज्य के उत्पादन में एवं निर्यात में आई कमी है। मंदी के कारण राज्य के कुल उत्पादन और निर्यात में होने वाली कमी के फलस्वरूप राज्य के कर राजस्व एवं शुल्क की प्राप्ति में कमी आई।

सारणी सं. 2 : राज्य के कर राजस्व में वृद्धि दर

(वृद्धि दर प्रतिशत में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 RE	2011-12 BE
राज्य के स्वयं के कर राजस्व	17.44	17.49	14.36	12.57	9.84	18.29	9.96
केन्द्रीय करों में हिस्सा	23.05	27.55	26.14	5.53	2.88	38.86	20.13
कुल कर राजस्व	19.34	21.00	18.69	9.82	7.23	25.70	14.01
कुल राजस्व प्राप्तियां	17.31	22.81	20.27	8.73	5.73	29.97	13.70

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार


BE : बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

आर्थिक मंदी : कर संग्रहण पर प्रभाव

सारणी सं. 2 के अनुसार राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में करीब क्रमशः 8.73 एवं 5.73 प्रतिशत वृद्धि रही जिसमें भी कर राजस्व में होने वाली वृद्धि क्रमशः 9.82 प्रतिशत एवं 7.23 प्रतिशत रही। वर्ष 2008-09 और 2009-10 में राज्य को प्राप्त होने वाले केन्द्रीय करों से प्राप्त हिस्से में अत्यधिक गिरावट आई। राज्य को प्राप्त राजस्व आय में केन्द्रीय करों से प्राप्त कर राजस्व में आई गिरावट के अंतर्गत सीमा शुल्क और संघ उत्पादन शुल्क तुलनात्मक रूप से अधिक गिरावट दर्ज की गई। सीमा शुल्क एवं निर्यात शुल्क से प्राप्त होने वाली आय में इस गिरावट का मुख्य कारण मंदी के कारण उत्पादन और निर्यात में होने वाली कमी को माना जा रहा है।

राज्य को केन्द्रीय करों से प्राप्त होने वाले करों में राज्य का हिस्सा जिसमें वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में क्रमशः 5.53 एवं 2.88 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसके अलावा स्वयं राज्य द्वारा लगाये जाने वाले करों में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में क्रमशः 12.57 एवं 9.84 प्रतिशत वृद्धि हुई। गौरतलब है कि इन दो वर्षों (2008-09 एवं 2009-10) में राज्य को कर राजस्व से प्राप्त आय में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 9.82 प्रतिशत एवं 7.23 प्रतिशत वृद्धि हुई। इन्हीं दो वर्षों में राज्य स्वयं द्वारा लगाए जाने वाले करों में वृद्धि (क्रमशः 12.57 प्रतिशत एवं 9.84 प्रतिशत) हुई। गौरतलब है कि राज्य के बिक्री कर में उक्त 2 वर्षों में यह वृद्धि क्रमशः यह 14.89 एवं 14.14 थी। आर्थिक मंदी के दौरान वस्तुओं के उत्पादन में कमी एवं इसके कारण बढ़ी महंगाई, बेरोजगारी के बीच भी राज्य स्वयं द्वारा लगाये जाने वाले करों में गत वर्षों की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की गई।

ग्राफ सं. 1 : राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय में वृद्धि की तुलना



स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

BE : बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

राजस्थान : वर्तमान वित्तीय स्थिति

आर्थिक मंदी के समय एक आम आदमी के लिये बेरोजगारी के साथ-साथ रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि के कारण अपने आप को अर्थव्यवस्था में बनाये रखना मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थितियों में एक आम आदमी को सरकार से उम्मीद होती है कि वह उसे इस समय आर्थिक संकट से उबारने में उसे सहायता प्रदान करे, कर की दरों में उसे रियायत प्रदान की जाए ताकि वस्तुओं की कीमतें कम हों सकें। इस संदर्भ में राज्य सरकार का नैतिक कर्तव्य बनता है कि वह राज्य के नागरिकों के सामाजिक कल्याण के साथ उनके आर्थिक विकास की दिशा में भी समुचित प्रयास करे।

विगत वर्षों में राजस्व घाटा

सारणी सं. 3 में विगत वर्षों के दौरान राज्य में राजस्व घाटे की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

सारणी सं. 3 : राज्य में राजस्व घाटा

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 RE	2011-12 BE
राजस्व प्राप्तियाँ	20839.19	25592.18	30780.62	33468.85	35385.01	45988.97	52287.36
राजस्व व्यय	21499.21	24953.80	29127.65	34295.59	40132.19	46877.92	51934.74
राजस्व घाटा	-660.02	638.38	1652.98	-826.74	-4747.18	-888.95	352.62
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत रूप में राजस्व घाटा	-3.17	2.49	5.37	-2.47	-13.42	-1.93	0.67
सघट के प्रतिशत रूप में राजस्व घाटा	-0.46	0.37	0.85	-0.37	-1.86	-0.29	NA

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

BE : बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

नोट : यहां पर ऋणात्मक चिह्न से तात्पर्य राजस्व घाटे से है एवं धनात्मक चिह्न से तात्पर्य राजस्व आधिक्य से है।

NA : Not Available (GSDP Data for year 2011-12 is not Available)

सारणी सं. 3 के अनुसार वर्ष 2005-06 में राज्य कर राजस्व घाटा करीब 660 करोड़ रु. था जो कि अगले 2 वर्षों में कम होकर क्रमशः 638 करोड़ राजस्व आधिक्य एवं 1653 करोड़ राजस्व आधिक्य रहा। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो इन दो वर्षों के दौरान राजस्व घाटे में कमी की मुख्य कारण राजस्व व्यय में कटौती करना नहीं बल्कि राजस्व प्राप्तियों में अत्यधिक वृद्धि होना था। इस अवधि के अगले 3 वर्षों में राजस्व घाटा वर्ष 2008-09 में 827 करोड़, 2009-10 में 4,747 करोड़ एवं 2010-11 (संशोधित अनुमान) में 888 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2011-12 के बजट अनुमानों के अनुसार करीब 353 करोड़ रु. का राजस्व आधिक्य होने का अनुमान है।

राजस्व घाटे में वृद्धि के कारण

सारणी सं. 3 के अनुसार लगातार 3 वर्षों (2008-09 से 2010-11 तक) में राजस्व घाटे में वृद्धि हुई है। सरकारी रिपोर्टों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व घाटे में होने वाली इस वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण वैश्विक आर्थिक मंदी और 6वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के कारण राज्य की राजस्व आय में कमी एवं राजस्व व्यय में वृद्धि होना बताया जा रहा है।²⁵ मंदी के कारण


²⁵ Statement on FRBM Six Monthly Review, 2009-10, Finance Department, Government of Rajasthan, Page No.10

राजस्थान : वर्तमान वित्तीय स्थिति

कम उत्पादन, बिक्री, निर्यात, कर एवं शुल्क संग्रहण में कमी आदि से सरकार की राजस्व आय में कमी आई जबकि 6वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के कारण सरकारी कर्मचारियों के दिए जाने वाले वेतन में बढ़ोतरी से राजस्व व्यय में ईजाफा हुआ।

इसी संदर्भ में केन्द्र सरकार ने वित्त आयोग के द्वारा सुझाए गये DCRF²⁶ (Debt Consolidation and Relief Facility) के दिशा निर्देशों के तहत इन दो वर्षों 2008-09 एवं 2009-10 में राजस्व घाटे को समाप्त करने की प्रतिबद्धता को हटा लिया एवं राजकोषीय घाटे को इन दोनों वर्षों में क्रमशः 3.5 एवं 4 प्रतिशत (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रूप में) तक रखने की छूट प्रदान की। वर्ष 2011-12 के लिये करीब 353 करोड़ रु. का राजस्व आधिक्य होने का अनुमान लगाया गया है जो कि वित्तीय स्थिरता की ओर एक सकारात्मक प्रयास कहा जा सकता है। राजस्व घाटे की इस प्रवृत्ति को ग्राफ सं. 2 में दर्शाया गया है।

ग्राफ सं. 2 : राज्य में राजस्व घाटे की प्रवृत्ति



स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार BE : बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

नोट : यहां पर ऋणात्मक चिह्न से तात्पर्य राजस्व घाटे से है एवं धनात्मक चिह्न से तात्पर्य राजस्व आधिक्य से है।

²⁶DCRF (Debt Consolidation and Relief Facility) ऋण समेकन और राहत सुविधा, राज्यों के वित्तीय समेकन और राजस्व घाटे में कमी लाने के लिए 12वें वित्त आयोग द्वारा दिया गया सुझाव था। जिसके तहत मार्च 2005 तक राज्यों पर बकाया ऋण को समेकित कर 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से 20 वर्षों की अवधि हेतु समान किश्तों में देय करना एवं आगामी वर्षों में केन्द्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाला ऋण एवं अनुदान, राज्यों द्वारा थट्टेड। बज अधिनियमित किए जाने एवं इसके लक्ष्यों के आधार पर राज्यों द्वारा वित्तीय सुधार के अनुरूप दिए जाने से संबंध में सुझाव पेश किए गये। केन्द्र सरकार द्वारा आयोग की इन सिफारिशों को मंजूर कर इस संबंध में दिनांक 23 जून 2005 को दिशा निर्देश जारी किए गए। Source : <http://finmin.nic.in>

राजस्थान : वर्तमान वित्तीय स्थिति

केन्द्र सरकार द्वारा पारित एफआरबीएफ एक्ट एवं उसके दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य में वर्ष 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 (FRBM Act 2005) पारित किया गया जिसे बाद में संशोधित कर राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 (FRBM Act 2006) नाम दिया गया। अधिनियम के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2008-09 तक राज्य का राजस्व घाटा वर्ष 2008-09 तक शून्य के स्तर पर होना चाहिए था। लेकिन जैसा कि उपर बताया गया है वर्ष 2008-09 में करीब 827 करोड़ रु. का राजस्व घाटा था जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का करीब 0.37 प्रतिशत था।

(ii) पूंजीगत घाटा (Capital Deficit)

परिभाषा

पारिभाषिक रूप में, जब राज्य द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय (राज्य में स्थाई संपत्ति निर्माण, पुराने ऋण का भुगतान करने में चुकाई गई राशि आदि), पूंजीगत प्राप्तियों (राज्य की स्थाई संपत्तियों के बेचान से प्राप्त राशि, राज्य द्वारा लिया गया नया ऋण एवं राज्य द्वारा पूर्व में दिये गये ऋण की पुर्नप्राप्ति आदि) की तुलना में अधिक होता है तो इसे पूंजीगत घाटा कहा जाता है।

सारणी सं. 4 के अनुसार विगत कुछ वर्षों से पूंजीगत खाते में आधिक्य दिखाई दे रहा है।

विगत वर्षों में पूंजीगत घाटा

विगत वर्षों के दौरान राज्य में पूंजीगत घाटे की प्रवृत्ति को सारणी सं. 4 में दर्शाया गया है।

सारणी सं. 4 : विगत वर्षों के दौरान राज्य में पूंजीगत घाटे की प्रवृत्ति (राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 RE	2011-12 BE
पूंजीगत प्राप्तियां	6586.91	6536.18	6114.78	10209.09	13158.39	10704.21	11810.61
पूंजीगत व्यय	5721.15	6902.44	8689.05	8672.64	8617.63	10212.37	12064.08
पूंजीगत घाटा (प्राप्तियां-व्यय)	865.76	-366.26	-2574.26	1536.45	4540.76	491.84	-253.47
राजस्व घाटा	-660.02	638.38	1652.98	-826.74	-4747.18	-888.95	352.62
बजटीय घाटा (पूंजीगत घाटा + राजस्व घाटा)	205.74	272.13	-921.29	544.71	-206.42	-397.11	99.15

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

BE : बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

नोट : यहां पर ऋणात्मक विह्व से तात्पर्य घाटे से है एवं धनात्मक विह्व से तात्पर्य आधिक्य से है।

सारणी सं. 4 के अनुसार वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में राज्य के पूंजीगत खाते में क्रमशः 866 करोड़ का आधिक्य एवं 366 करोड़ रु. का घाटा रहा है। सारणी के अनुसार जिस वर्ष राजस्व आधिक्य रहा है उसी वर्ष पूंजीगत घाटे में वृद्धि दिखाई दे रही है। इसके विपरीत जिस वर्ष राजस्व खाते में घाटा रहा उस वर्ष पूंजीगत खाते में आधिक्य दर्ज किया गया। राजस्व खाते और पूंजीगत

राजस्थान : वर्तमान वित्तीय स्थिति

खाते में इस विपरीत संबंध को लेकर कहा जा सकता है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियों में गिरावट के कारण राजस्व घाटा दर्ज किया गया। इसके परिणामस्वरूप राज्य के खर्चों के चलाने के लिए सरकार कर्ज लिया गया जिससे पूंजीगत खाते में प्राप्तियां बढ़ने से इसमें आधिक्य दिखाई दे रहा है। सारणी के अनुसार वर्ष 2011-12 के लिए राज्य का पूंजीगत घाटा 253 करोड़ रु. अनुमानित है (जबकि राजस्व आधिक्य लगभग 353 करोड़ रु. होने का अनुमान लगाया गया है)।

पूंजीगत घाटे का प्रभाव

आमतौर पर पूंजीगत घाटे को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं की जाती है जबकि राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा, इन दोनों को लेकर सरकारी रिपोर्टों, मीडिया आदि में चर्चा का विषय बना रहता है। देखा जाए तो पूंजीगत खाता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा जितनी भी राशि कर्ज के रूप में उधार ली जाती है अथवा पुराने बकाया के बदले ऋण राशि चुकाई जाती है, वह राज्य के पूंजीगत खाते में ही जमा खर्च की जाती है।

अतः कहा जा सकता है कि राज्य के पूंजीगत खाते की स्थिति परोक्ष रूप से राजकोषीय घाटे व बजटीय घाटे को प्रभावित करती है। राज्य का राजकोषीय घाटा संतुलित स्तर पर लाने के लिये पूंजीगत खाते का समुचित प्रबंधन एक कारगर औजार साबित हो सकता है। इस दिशा में एक प्रयास यह हो सकता है कि राज्य को केन्द्र से मिलने वाले अनुदानों एवं केन्द्रीय करों में वृद्धि की जाये, राजकीय उपक्रमों के घाटों में कमी की जाये, राज्य के अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण किया जाये।

(iii) बजटीय घाटा (Budget Deficit)

परिभाषा

जब राज्य का कुल व्यय, राज्य की कुल प्राप्तियों की तुलना में अधिक हो तो इसे बजटीय घाटा कहा जाता है। इसके विपरीत, राज्य की कुल प्राप्तियां, कुल आय की तुलना में अधिक होने पर राज्य अर्थव्यवस्था में बजटीय आधिक्य कहा जाता है।

विगत वर्षों में बजटीय घाटा

राजस्थान अर्थव्यवस्था में विगत वर्षों में बजटीय घाटे या आधिक्य की प्रवृत्ति सारणी सं. 5 में दर्शाया गया है।

सारणी सं. 5 : विगत वर्षों के दौरान राज्य में बजटीय घाटा

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 RE	2011-12 BE
कुल प्राप्तियां	27426.10	32128.36	36895.40	43677.94	48543.40	56693.18	64097.97
कुल व्यय	27220.36	31856.24	37816.69	43133.23	48749.82	57090.29	63998.82
बजटीय घाटा/आधिक्य	205.74	272.13	-921.29	544.71	-206.42	-397.11	99.15

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

BE : बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

नोट : यहां पर ऋणात्मक चिह्न से तात्पर्य घाटे से है एवं धनात्मक चिह्न से तात्पर्य आधिक्य से है।

सारणी सं. 5 के अनुसार राज्य में अधिकांश वर्षों में बजट आधिक्य की प्रवृत्ति रही है। वर्ष 2005-06 और 2006-07 में क्रमशः 206 करोड़ एवं 272 करोड़ का बजट आधिक्य रहा है जबकि वर्ष 2007-08 में 921 करोड़ रु. का बजटीय घाटा रहा। वर्ष 2008-09 में बजटीय आधिक्य प्राप्त होने के बाद वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में क्रमशः करीब 206 करोड़ एवं 397 करोड़ का बजटीय घाटा रहा है। वर्ष 2011-12 में करीब 99 करोड़ रु. का बजटीय आधिक्य प्राप्त होने का अनुमान है। गौरतलब है कि राज्य अर्थव्यवस्था में विगत वर्षों के दौरान बजटीय घाटे को संतुलित करने के प्रयास किए गये हैं। जिसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर या तो बजटीय आधिक्य दिखाई दे रहा है या फिर सीमित स्तर तक बजटीय घाटा दिखाई दे रहा है। राज्य अर्थव्यवस्था में बजटीय घाटे/आधिक्य की प्रवृत्ति को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्य में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत इस विषय को लेकर निर्धारित किए गये मानकों के तहत वित्तीय प्रबंधन की दिशा में राज्य सरकार प्रयासरत है। लेकिन जैसा कि पहले भी चर्चा की गई है कि बजटीय घाटा अथवा आधिक्य राज्य अर्थव्यवस्था के वास्तविक हालातों को समझने के लिए एक उचित मापदंड नहीं माना जा सकता है। क्योंकि इसमें राज्य को प्राप्त होने वाली कुल आय एवं कुल व्यय के सम्मिलित आंकड़ें शामिल होते हैं जिनसे यह जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती कि राज्य को प्राप्त होने वाली आय में उधार द्वारा कितनी राशि ली गई है और कितनी राशि गैर विकासात्मक मदों पर खर्च की गई है। इस संदर्भ में अर्थशास्त्रियों का मानना है कि राजकोषीय घाटा, राज्य की वित्तीय स्थिति को समझने में कुछ हद तक मददगार साबित होता है, जिसके बारे में आगे चर्चा की गई है।

(iv) राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)

परिभाषा

पारिभाषिक रूप में, जब बजटीय घाटे में उधार एवं अन्य देनदारियों को घटा दिया जाता है तो प्राप्त राशि राजकोषीय घाटा कहलाती है। अन्य शब्दों में, कुल राजस्व प्राप्तियों एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के योग में से कुल व्यय जिसमें दिये गये ऋणों की शुद्ध राशि भी शामिल होती है, को घटाने पर प्राप्त राशि राजकोषीय घाटा कहलाती है। भारत सरकार द्वारा सुखमाय चक्रवर्ती समिति की सिफारिशों के आधार पर 1997-98 से राजकोषीय घाटे का परिकलन प्रारम्भ किया गया था।²⁷ राजकोषीय घाटा सरकार की सभी स्रोतों से उधार लेने की आवश्यकताओं को दर्शाता है अर्थात् यह सरकार के उधार की वास्तविक स्थिति किसी वर्ष विशेष में दर्शाता है।

²⁷ दत्त सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, पृ.सं.895, 2010

राजस्थान : वर्तमान वित्तीय स्थिति

विगत वर्षों में राजकोषीय घाटा

विगत वर्षों के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे को सारणी सं. 6 में दर्शाया गया है।

सारणी सं. 6 : राज्य में राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 RE	2011-12 BE
बजटीय घाटा	205.74	272.13	-921.29	544.71	-206.42	-397.11	99.15
उधार एवं देनदारियां	5356.01	4241.86	2487.08	7518.02	10092.37	7155.89	8162.62
राजकोषीय घाटा (बजटीय घाटा- उधार एवं देनदारियां)	-5150.27	-3969.73	-3408.37	-6973.31	-10298.79	-7553.00	-8063.47
राजकोषीय घाटा (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रूप में)	3.62%	2.32%	1.75%	3.10%	4.03%	2.49%	NA

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

BE : बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

आर्थिक समीक्षा, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार

NA : GSDP Data Not Available

नोट : यहां पर ऋणात्मक चिह्न से तात्पर्य घाटे से है एवं धनात्मक चिह्न से तात्पर्य राजस्व आधिक्य से है।

सारणी संख्या 6 के अनुसार राज्य के राजकोषीय घाटे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2006-07 में जहां राज्य का राजकोषीय घाटा लगभग 3,970 करोड़ रु. था वहीं वर्ष 2009-10 में यह करीब 10,299 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2010-11 (संशोधित अनुमान) में राजकोषीय घाटा कम होकर करीब 7,553 करोड़ रु. अनुमानित है जबकि 2011-12 के बजट अनुमानों के अनुसार करीब 8,063 करोड़ रु. होने का अनुमान है।

राजकोषीय घाटा बढ़ने का कारण

जैसा के पहले भी चर्चा की गई है कि राजकोषीय घाटे एवं अर्थव्यवस्था पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर विगत कुछ वर्षों से अर्थशास्त्रियों के मतों में विरोधाभास रहा है। आमतौर पर चलित धारणा के अनुसार सरकार द्वारा अधिक कर्ज लिए जाने की स्थिति में राज्य का राजकोषीय घाटा बढ़ता है।

अब सवाल यह है कि सरकार द्वारा वर्ष दर वर्ष कर्ज में बढ़ोतरी क्यों हो रही है? इस संदर्भ में यह माना जाता है कि राज्य में राजस्व व्यय के साथ साथ आयोजना भिन्न व्यय में बढ़ोतरी होने से राज्य में गैर विकासात्मक और अनुत्पादक खर्च में बढ़ोतरी होती है। जिसके कारण राज्य को बाहरी स्रोतों से कर्ज लेना पड़ता है। इस प्रकार वर्ष दर वर्ष गैर विकासात्मक और अनुत्पादक खर्च में बढ़ोतरी के कारण राज्य द्वारा लिए जाने वाले उधार में बढ़ोतरी होती रहती है। इस प्रकार राज्य पर ऋण के मूलधन के साथ साथ ब्याज का बोझ भी बढ़ता रहता है। इस स्थिति में जब राज्य को प्राप्त आय अथवा लिए जाने वाला ऋण विकासात्मक एवं उत्पादक क्षेत्रों में निवेश न किया जाकर या तो पुराने बकाया कर्ज का मूलधन चुकाने अथवा ब्याज चुकाए जाने की संभावना बढ़ जाती है। इस

प्रकार एक और तो राज्य पर देनदारियों का दबाव बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है तों दूसरी ओर राज्य में विकासात्मक एवं उत्पादक क्षेत्रों पर वांछित निवेश न कर पाने की स्थिति में राज्य का विकास अवरुद्ध होने का खतरा बढ़ जाता है।

गौरतलब है कि राज्य द्वारा लिए जाने वाला कर्ज से राजकोषीय घाटे में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में एक नियत स्तर तक उधार लिए जाने और निश्चित सीमा तक राजकोषीय घाटे के समर्थक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कुछ हद तक अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा मुद्रा की तरलता और इसके प्रवाह को बनाए रखने में मददगार साबित होता है। जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, लोगों की क्रय क्षमता में वृद्धि होती है और उनके रहन सहन एवं जीवन स्तर में बढ़ोतरी के अवसर प्राप्त होते हैं। अतः एक नियत स्तर तक राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है।

आमतौर पर राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रूप में लेकर मापदंड तय किए जाते हैं और उनके आधार पर लक्ष्य तय किए जाते हैं। राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रूप में मापने के पीछे भी अलग अलग मत पाये जाते हैं। लेकिन आमतौर पर प्रचलित धारणा यह है कि यह राज्य की एक वर्ष अवधि के भीतर कुल उत्पादन अथवा आय की तुलना में राज्य के लिए उधार की आवश्यकता को बताता है। एफआरबीएम एक्ट के तहत निर्धारित किए गये मापदंडों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंत तक राज्य का राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाना था और फिर इसे इस स्तर तक बनाए रखना था।

राज्य बजट के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2007-08 में राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.75 प्रतिशत दर्ज किया गया था। लेकिन आर्थिक मंदी के कारण 2 वर्षों (वर्ष 2008-09 एवं 2009-10) में इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके पश्चात वर्ष 2010-11 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटे में कमी होकर 2.49 प्रतिशत के स्तर पर रहने का अनुमान है।

(v) प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)

परिभाषा

पारिभाषिक रूप में – “राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को कम करने पर प्राप्त राशि प्राथमिक घाटा कहलाती है अर्थात् राजकोषीय घाटा और ब्याज देनदारियों के अन्तर को प्राथमिक घाटा कहा जाता है।” आमतौर पर माना जाता है कि प्राथमिक घाटे से इस बात की जानकारी मिलती है कि सरकार द्वारा एक वर्ष में लिया गया कर्ज ब्याज अदायगियों के अलावा अन्य मदों पर कितना खर्च किया गया। प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होने से अनुमान लगाया जाता है कि सरकार एक में वर्ष जितना नया कर्ज ले रही है उससे भी अधिक राशि पुराने कर्ज पर ब्याज के रूप में चुका रही है।

विगत वर्षों में प्राथमिक घाटा

राजस्थान राज्य में पिछले वर्षों के दौरान प्राथमिक घाटे की प्रवृत्ति को सारणी सं. 7 में दर्शाया गया है।

राजस्थान : वर्तमान वित्तीय स्थिति

सारणी सं. 7 : विगत वर्षों के दौरान राज्य में प्राथमिक घाटे की प्रवृत्ति (राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 RE	2011-12 BE
राजकोषीय घाटा	5150.27	3969.73	3408.37	6973.31	10298.79	7553.00	8063.47
ब्याज देयता	5210.20	5701.82	5942.99	6224.25	6769.13	7405.75	8012.48
प्राथमिक घाटा (राजकोषीय घाटा-ब्याज देयता)	-59.92	-1732.09	-2534.62	749.06	3529.66	147.25	50.99

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

BE : बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

नोट : यहां पर ऋणात्मक चिह्न से तात्पर्यघाटे से है एवं धनात्मक चिह्न से तात्पर्य आधिक्य से है।

सारणी के अनुसार पिछले कुछ वर्षों (वर्ष 2008-09 के बाद) में राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक आधिक्य दिखाई दे रहा है। उपर दी गई परिभाषा के अनुसार अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार प्रतिवर्ष जितना नया कर्जा ले रही है उससे प्राथमिक आधिक्य के समान राशि शेष बच रही है जो कि राज्य में ब्याज के अलावा अन्य मदों पर खर्च की जा रही है। जबकि वर्ष 2008-09 के पूर्व राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक घाटा चल रहा था। आजकल प्राथमिक आधिक्य होने के पीछे यह माना जा रहा है कि वर्ष 2008-09 से पहले राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा कम था जो कि वर्ष 2008-09 के बाद तेजी से बढ़ा है। इसके फलस्वरूप प्राथमिक घाटे में लगातार कमी होते हुए इसमें आधिक्य दिखाई दे रहा है। वर्ष 2009-10 में राजकोषीय घाटा करीब 10299 करोड़ रु. का था जबकि ब्याज के रूप में चुकाई गई राशि करीब 6769 करोड़ रु थी, जिसके फलस्वरूप इस वर्ष प्राथमिक आधिक्य करीब 3530 करोड़ रु. रहा। वर्ष 2011-12 में करीब 51 करोड़ रु. का प्राथमिक आधिक्य होने का अनुमान है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्राथमिक आधिक्य के अनुसार यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार द्वारा लिया जा रहा कर्ज, ब्याज के अलावा अन्य विकासात्मक कार्यों पर भी किया जा रहा है। जिसके कारण यह यह आशा की जाती है कि यह राशि राज्य के लोगों के विकास पर खर्च की जाती है और इससे सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन मिलता है।

प्रस्तुत अध्याय में विगत वर्षों के दौरान राज्य बजट में घाटों की प्रवृत्ति, उनके कारण एवं राज्य अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना की गई है। जबकि आगामी प्रस्तुत अध्याय में एफआरबीएम अधिनियम के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के साथ साथ विगत वर्षों के दौरान राज्य बजट के आंकड़ों पर इसके प्रभावों के बारे में अध्ययन किया गया है।

4. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM Act) 2006

सरकारी रिपोर्टों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पिछले वर्षों में राज्य की लगातार बढ़ती देनदारियों के कारण राज्य के राजस्व एवं राजकोषीय घाटे में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी। जिसके परिणामस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था में असंतुलन का खतरा बढ़ रहा था। केन्द्रीय स्तर पर इसके लिए राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM Act) 2005 पारित किया गया। इस कारण राज्य के संदर्भ में राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे में कमी करने के साथ-साथ ऋण प्रबंधन के विवेकपूर्ण उपयोग एवं सरकार की वित्तीय संक्रियाओं में पारदर्शिता एवं बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया गया। जिसे 2 मई 2005 को राज्यपाल की अनुमति मिल गई। संशोधन पश्चात अधिनियम का नाम राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM Act) 2006 कर दिया गया है।

उद्देश्य

अधिनियम को लागू किए जाने के निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गये :

- (1) राज्य सरकार राजस्व घाटे को दूर करने के समुचित उपाय करेगी और राजकोषीय घाटे को एक निर्धारित स्तर तक बनाये रखेगी।
- (2) राज्य सरकार लागत वसूली और न्यायसंगतता/निष्पक्षता का सम्यक रूप से ध्यान रखते हुये गैर-कर राजस्व नीतियों का अनुसरण करेगी।
- (3) राज्य सरकार पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देने के लिये मानक निर्धारित करेगी और ऐसी व्यय नीतियों का अनुसरण करेगी जिससे राज्य में आर्थिक विकास, गरीबी कम करने और मानव कल्याण को प्रोत्साहन मिले।

अधिनियम के दिशा निर्देशों के अनुसार लक्ष्य

दिनांक 3 मई 2005 को राज्यपाल की अनुमति से पारित राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गये जो कि अधिनियम के अनुच्छेद 6 में वर्णित हैं:

- (1) राज्य सरकार 1 अप्रैल 2005 को प्रारंभ होने वाली एवं 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाली 4 वित्तीय वर्षों की अवधि में राज्य के राजस्व घाटे में राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की औसत वार्षिक कमी को अपनाते हुये अंतिम वर्ष (31 मार्च 2009) की समाप्ति पर राज्य का राजस्व घाटा शून्य करेगी।
- (2) राज्य के राजकोषीय घाटे के अंतर्गत उपर दी गई अवधि में (1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2009) के दौरान प्रतिवर्ष 0.4 प्रतिशत की औसत वार्षिक कमी करते हुये अंतिम वर्ष समाप्ति (31 मार्च 2009) पर 3 प्रतिशत तक लाया जायेगा।
- (3) राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि राज्य की कुल देनदारियां अथवा ऋण (लोक खाते को

छोड़कर) किसी एक वित्तीय वर्ष में राज्य की संचित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के दुगने से अधिक नहीं हो।

(4) राज्य सरकार, राज्य की अर्थव्यवस्था और उसके सापेक्ष राजकोषीय रणनीति के लिये संभावनाएं बताते हुये वार्षिक विवरण लाना सुनिश्चित करेगी।

(5) राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र और सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की संख्या और सापेक्ष वेतन का ब्यौरा देते हुये बजट के साथ विशेष विवरण लाना सुनिश्चित करेगी।

इस अधिनियम के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया कि "राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, राष्ट्रीय सुरक्षा या प्राकृतिक आपदा अथवा अकाल राहत को सम्मिलित करते हुये या फिर कभी कोई ऐसी परिस्थितियां हो जायें, जब स्थिति राज्य के नियंत्रण से परे हों, जिनके कारण राज्य के वित्त में मांग अधिक हो जाये तो इस अधिनियम में घाटों की दी गई सीमाओं में वृद्धि की जा सकेगी।"²⁸

दिनांक 31 मार्च 2011 को राज्य सरकार द्वारा एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन किया गया। संशोधन प्रपत्र के अनुसार "राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त करेगी और तत्पश्चात इसे बनाए रखेगी या राजस्व अधिशेष बनाए रखेगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजवित्तीय घाटे को सकल राज्य देशी उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाएगी और तत्पश्चात उक्त अनुपात को बनाए रखेगी या इसे कम करेगी।"²⁹

दिनांक 14 सितम्बर 2011 को राज्य सरकार द्वारा एफआरबीएम अधिनियम में पुनः संशोधन किया गया है। संशोधन प्रपत्र के अनुसार "राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के लिए अपने कुल बकाया ऋण को सकल राज्य देशी उत्पाद के क्रमशः 39.3, 38.3, 37.3 एवं 36.5 प्रतिशत तक सीमित करेगी।"³⁰

13वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशें

राज्यों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के संदर्भ में 13वें वित्त आयोग ने वर्ष 2011-12 हेतु निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की :

(1) देश के सभी राज्य वर्ष 2007-08 में शून्य राजस्व घाटा अथवा राजस्व आधिक्य प्राप्त करेंगे और इसके तहत वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटा पूर्णतया हटाकर राजस्व आधिक्य के स्तर को बनाये रखेंगे।

(2) सभी राज्य वर्ष 2007-08 में शून्य राजस्व घाटा अथवा राजस्व आधिक्य प्राप्त करने के साथ-साथ वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत के स्तर तक लायेंगे और उसे आगे भी बनाये रखेंगे।

राज्य अर्थव्यवस्था और घाटे

सारणी सं. 8 में विगत वर्षों के दौरान उन महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतकों की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है जिनको लेकर एफआरबीएम अधिनियम के दिशा निर्देशों में मानक तय किए गये हैं।

²⁸दिनांक 12 अगस्त 2009 को इस अधिनियम में संशोधन कर यह और जोड़ा गया कि "विकास और अन्य अपरिहार्य व्यय के कारण या केन्द्र सरकार के द्वारा समय-समय पर उपदर्शित सीमाओं तक राजस्व और राजकोषीय घाटा विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो सकेगा।" राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन प्रपत्र दिनांक 12 अगस्त 2009

²⁹राजस्थान राजपत्र, 31 मार्च 2011

³⁰राजस्थान राजपत्र, 14 सितम्बर 2011

राजस्थान : वर्तमान वित्तीय स्थिति

सारणी सं. 8 राज्य अर्थव्यवस्था, एफबारबीएम एक्ट के तहत निर्धारित घाटे एवं इनकी प्रवृत्ति

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 RE	2011-12 BE
राजस्व घाटा/आधिक्य (राशि करोड़ में)	-660.02	638.38	1652.98	-826.74	-4747.18	-888.95	352.62
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत रूप में राजस्व घाटा	-3.17	2.49	5.37	-2.47	-13.42	-1.93	0.67
राजकोषीय घाटा (राशि करोड़ में)	-5150.27	-3969.73	-3408.37	-6973.31	-10298.79	-7553.00	-8063.47
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2004-05 की कीमतों पर) के प्रतिशत रूप में राजकोषीय घाटा	3.62	2.32	1.75	3.10	4.03	2.79	2.49

स्रोत : आय-व्यय अध्ययन, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, BE : बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान, NA : Data Not Available

नोट : यहां पर ऋणात्मक चिह्न से तात्पर्य घाटे से है एवं धनात्मक चिह्न से तात्पर्य आधिक्य से है।

राजस्व घाटा : राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में

सारणी सं. 8 के अनुसार वर्ष 2005-06 में राज्य का राजस्व घाटा 660 करोड़ रु. था जो कि राजस्व प्राप्तियों (20839.19 करोड़ रु.) की तुलना में -3.17 प्रतिशत था। इसके पश्चात आगे के वर्षों में (वर्ष 2008-09 और 2009-10 को छोड़कर) इसमें सुधार होता दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित लक्ष्य (वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटे को राजस्व प्राप्तियों की तुलना में 0 प्रतिशत के स्तर तक लाना अथवा इसे राजस्व आधिक्य के स्तर तक लाना) को प्राप्त कर लिया गया। गौरतलब है कि वर्ष 2011-12 के बजट अनुमानों के मुताबिक राज्य का राजस्व आधिक्य (लगभग 353 करोड़ रु.), राजस्व प्राप्तियों की तुलना में 0.67 प्रतिशत अनुमानित है।

सारणी सं. 8 के अनुसार वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में राज्य का राजस्व घाटा तुलनात्मक रूप से अधिक रहा जिससे एफआरबीएम एक्ट के लक्ष्यों में मार्च 2011 में संशोधन किया गया। इन दो वर्षों में राज्य का राजस्व घाटा तेजी से बढ़ने के पीछे विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी रिपोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक -“भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त ऋण समेकन राहत सुविधा (डी.सी.आर.एफ.) के तहत राजस्व घाटे की समाप्ति के प्रावधान में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में राजस्व घाटे में शिथिलता प्रदान की गई है जिसके कारण राज्य डी.सी.आर.एफ. से प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित नहीं रहेंगे।³¹ अर्थात्, रिपोर्ट में दी गई इस जानकारी के मुताबिक विशेषज्ञों का कहना है कि इन दो वर्षों के दौरान आर्थिक मंदी होने के कारण भारत सरकार द्वारा एफआरबीएम अधिनियम के लक्ष्यों में शिथिलता प्रदान की गई थी। अगर कोई राज्य इन दो वर्षों के दौरान राजस्व घाटा शून्य स्तर तक लाने अथवा राजस्व आधिक्य प्राप्त करने में सफल नहीं होता है तो उसे इसके लिए अधिनियम के तहत पूर्व निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्र से मिलने वाले लाभ, अनुदान या ऋण राशि से वंचित नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि इन दो वर्षों में राजस्थान भी अपने राजस्व घाटे में कमी नहीं कर पाया बल्कि इसके विपरीत इसके राजस्व घाटे में

³¹ सार्वजनिक वित्त, आर्थिक समीक्षा, 2009-10, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान

वृद्धि दर्ज की गई। मार्च 2011 में अधिनियम के लक्ष्यों में संशोधन कर राजस्व घाटे को 2009-10 की जगह वित्तीय वर्ष 2011-12 की समाप्ति तक शून्य स्तर अथवा राजस्व आधिक्य तक लाने का लक्ष्य तय किया गया है।

राजकोषीय घाटा : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में

राजस्थान राजवित्तीय राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के प्रारम्भिक वर्ष 2005-06 में राज्य का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का करीब 3.62 प्रतिशत के स्तर पर था। अधिनियम के तहत निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार राजकोषीय घाटे के तत्कालीन स्तर में प्रतिवर्ष 0.4 प्रतिशत की कमी करते हुये वर्ष 2008-09 के अंत तक 3.0 प्रतिशत तक लाना तय किया गया। अधिनियम पारित होने के अगले वर्ष 2006-07 में राज्य का राजकोषीय घाटा कम होकर लगभग 3,970 करोड़ रु. अर्थात् जीएसडीपी का 2.32 प्रतिशत रहा और वर्ष 2007-08 में लगभग 3,408 करोड़ रु. (जीएसडीपी का 1.75 प्रतिशत) रहा। राज्य बजट के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2008-09 में राजकोषीय घाटा 3.10 प्रतिशत (जीएसडीपी के प्रतिशत रूप में) तथा वर्ष 2009-10 में 4.03 प्रतिशत रहा। वर्ष 2010-11 के संशोधित अनुमानों के अनुसार यह कम होकर 2.79 प्रतिशत होने का अनुमान है जो कि अधिनियम के तहत निर्धारित लक्ष्यों की सीमा के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। राज्य में राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति को आगे ग्राफ सं. 3 में दर्शाया गया है।

जैसा कि पूर्व में बताया गया है आर्थिक मंदी के कारण वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में भारत सरकार ने राज्यों को राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के तहत निर्धारित स्तरों की प्रतिबद्धता से छूट प्रदान की थी। इस प्रकार अधिनियम के तय लक्ष्यों के मुताबिक राजकोषीय घाटे के 3.0 प्रतिशत की प्रतिबद्धता में छूट देकर वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिए क्रमशः 3.50 एवं 4.0 प्रतिशत की लक्ष्य तय किया गया।

यहां पर सवाल यह उठता है कि राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद से किस प्रकार संबंधित है और इसके क्या मायने हैं ? इस संदर्भ में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अलग अलग मत हैं लेकिन आमतौर पर साधारण शब्दों में प्रचलित अवधारणा यह है कि राज्य का राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रूप में यह जानकारी देता है कि राज्य की कुल आय की तुलना में राज्य को कितने कर्ज अथवा ऋण की आवश्यकता है।

ग्राफ सं. 3 : राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी के प्रतिशत में)



स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

BE : बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

आर्थिक समीक्षा, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार

इस संदर्भ में माना जा सकता है कि जैसे जैसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत बढ़ता जाता है, वैसे वैसे राज्य के लिए कर्ज की आवश्यकता बढ़ती जाती है। जिसके कारण राज्य को कर्ज लेना पड़ता है और राज्य की देनदारियों में वृद्धि होती जाती है। इन देनदारियों में वृद्धि के कारण राज्य सरकार पर ऋण दायित्वों में कमी लाने के लिए व्यय में कटौती करने का दबाव बढ़ता जाता है। जिसके कारण माना जाता है कि सरकार द्वारा उन क्षेत्रों में व्यय कटौती की जाती है जिन पर कुल व्यय का एक बड़ा हिस्सा व्यय किया जाता है और वहीं पर सरकार के लिए व्यय में कटौती किए जाना आसान माना जाता है। आमतौर पर इस क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्रों पर किए जाने वाला व्यय शामिल होता है जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण जैसे महत्त्वपूर्ण विषय सर्वोपरी हैं।

इसके विपरीत कुछ हद तक राजकोषीय घाटे के समर्थन में भी तर्क दिए जाते हैं जिनके बारे में पूर्व में चर्चा की जा चुकी है। इनके अनुसार कुछ हद तक राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के गति संचालन में सहायक होता है क्योंकि यह धन तरलता बढ़ाने के साथ उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि को समर्थन करता है।

इस प्रकार प्रस्तुत अध्याय में एफआरबीएम एक्ट, इसके उद्देश्य एवं लक्ष्यों के अतिरिक्त वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों का मूल्यांकन राज्य बजट के आंकड़ों के आधार पर किए जाने का प्रयास किया गया है। जबकि आगामी अध्याय में राज्य पर बकाया कुल कर्ज के बारे में चर्चा की गई है जिसमें राज्य के लिए ऋण प्रप्ति के स्रोत एवं विगत वर्षों में उनसे लिया गया ऋण, राज्य पर बकाया कुल कर्ज एवं इस पर देय ब्याज की राशि शामिल है।

5. राज्य की कुल देनदारियां एवं कर्ज का बढ़ता बोझ

सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की देनदारियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जो कि आगामी समय में राज्य के आर्थिक विकास के नजरिये से चिंताजनक बताई जा रही है। गौरतलब है कि राज्य की कुल देनदारियों में बढ़ोतरी के साथ साथ ब्याज की राशि भी बढ़ती जाती है जिन्हें मिलाकर राज्य की देनदारियों में लगातार और अधिक वृद्धि होती जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट "State Finances A Study of Budget of 2010-11" के आधार पर राजस्थान पर मार्च 2011 के अंत तक लगभग 98,881 करोड़ रु. की देनदारियां अनुमानित की गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष मार्च 2010 के अंत तक राज्य पर करीब 90,420 करोड़ रु. की देनदारियां बकाया थी।³²

राज्य पर बकाया देनदारियों के बारे में बजट पुस्तकों में जानकारी का अभाव

जैसा कि उपर बताया गया है राज्य पर बकाया देनदारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। राज्य बजट के आंकड़ों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कई बार ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है कि किसी एक वर्ष में राज्य द्वारा चुकाई गई ब्याज राशि, उस वर्ष में लिए गए नए ऋण के लगभग बराबर या इससे भी अधिक होती है। राज्य पर बकाया कर्ज के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित की जाने वाली बजट पुस्तकों में राज्य पर बकाया कुल ऋण के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार— **"राज्य के बजट प्रपत्रों में राज्य की बकाया देनदारियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी होती है"**³³ जैसे कि—राज्य की कुल बकाया देनदारियों के तहत राशि का श्रेणीवार विवरण, बकाया ऋणों के तहत निर्धारित शर्तों, ब्याज दर और परिपक्वता अवधि आदि पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं होती है।

सारणी सं. 9 से स्पष्ट है कि राज्य द्वारा एक वर्ष की अवधि में लिए जाने वाला उधार एवं उस वर्ष राज्य की ब्याज अदायगी राशि में कुछ ज्यादा अन्तर नहीं है। कुछ वर्षों में तो राज्य द्वारा चुकाई गई ब्याज राशि, उस वर्ष लिये गये उधार से भी अधिक है। गौरतलब है कि राज्य द्वारा चुकाया ब्याज पहले से बकाया चले आ रहे कुल ऋण पर चुकाया जा रहा है। सारणी में एक वित्तीय वर्ष में राज्य द्वारा लिया गया शुद्ध उधार एवं एक वित्तीय वर्ष में राज्य द्वारा चुकाई गई ब्याज अदायगियां दर्शाई गई हैं।

³²State Finances A Study of Budgets of 2010-11, Publication, Reserve Bank of India, 2011

³³State Finances : A Study of Budgets of 2009-10, Composition of Debt, Page 61, Publication, Reserve Bank of India, 2010

राजस्थान : वर्तमान वित्तीय स्थिति

सारणी सं. 9 : राज्य द्वारा प्रतिवर्ष लिया गया उधार एवं चुकाई गई ब्याज की राशि (राशि करोड़ में)

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 RE	2011-12 BE
लोक ऋण से विशुद्ध प्राप्तियां (1)	4502.81	2441.72	3217.53	5045.24	5851.35	4815.48	6724.54
लोक खाते से विशुद्ध प्राप्तियां (2)	853.20	1800.14	-730.44	2472.78	4241.02	2340.41	1438.08
कुल उधार (1+2)	5356.01	4241.86	2487.08	7518.02	10092.37	7155.89	8162.62
ब्याज अदायगियां	5210.20	5701.82	5942.99	6224.25	6769.13	7405.75	8012.48


स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

BE : बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

ब्याज अदायगियां : राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में

राज्य द्वारा ब्याज के रूप में चुकाई गई राशि और राजस्व प्राप्तियों के बीच अनुपात इस बात की जानकारी देने में सहायता प्रदान करता है कि राज्य सरकार प्राप्त राजस्व प्राप्तियां (करों, शुल्क, ब्याज आदि से) में से कितना प्रतिशत हिस्सा केवल ब्याज चुकाने में जा रहा है। ग्राफ से पता चलता है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत रूप में ब्याज देनदारियों में लगातार गिरावट आ रही है। लेकिन जैसा कि सारणी सं. 9 से स्पष्ट है कि राज्य की कुल ब्याज देनदारियों में लगातार वृद्धि हो रही है। दूसरी तरफ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है जिसके कारण इन दोनों (ब्याज देयता और राजस्व प्राप्तियों के बीच) अनुपात में लगातार गिरावट आ रही है। ग्राफ सं. 4 में राज्य की ब्याज देनदारियों को राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत रूप में दर्शाया गया है।

ग्राफ सं. 4 : राज्य की ब्याज अदायगियां



स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

BE : बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

इस अनुपात में कमी आने का एक अतिरिक्त कारण यह भी बताया जा रहा है कि 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को ब्याज देयता, राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत रूप में वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक 15 प्रतिशत के स्तर तक लाना था। ग्राफ के अनुसार वर्ष 2009-10 के अंत में यह स्तर 19.13 प्रतिशत के स्तर पर था जिसमें पिछले वर्षों में लगातार गिरावट आई है। वर्ष 2011-12 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य की ब्याज देयता, राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत रूप में 15.32 प्रतिशत होना अनुमानित है।

आमतौर पर माना जाता है कि राज्य की लगातार बढ़ती देनदारियां, राजस्व घाटे के साथ राजकोषीय घाटे को भी बढ़ावा देती हैं। राज्य पर कर्ज एवं ब्याज का बोझ बढ़ने के साथ साथ आम जनता से वसूले जाने वाले कर की दरों में भी बढ़ोतरी किए जाने की संभावना होती है। संक्षिप्त में, कहा जा सकता है कि राज्य में घाटा, ऋण और ब्याज अदायगियों का विकट घेरा बना हुआ है जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में एक बड़ी बाधा है। जिस पर नियंत्रण किए जाना चाहिए और उसके लिए राज्य की आर्थिक नीतियों में सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता है।

राज्य पर बकाया कुल कर्ज

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट "State Finances A Study of Budget of 2010-11" के अनुसार (सारणी सं. 10) राज्य पर मार्च 2011 के अंत तक लगभग 98,881 करोड़ रु. का कर्ज होने का अनुमान लगाया गया है जो कि गत वित्तीय वर्ष 2010 के अंत तक के संशोधित अनुमानों की तुलना में करीब 8,461 करोड़ रु अधिक है। गौरतलब है कि राज्य की देनदारियों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि होती दिखाई दे रही है। अब यहां पर यह देखे जाने की आवश्यकता है कि राज्य सरकार किन किन स्रोतों से, कितना ऋण लेती हैं।

राज्य के लिए ऋण स्रोत

राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋण को स्रोतों के आधार पर प्रमुख रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है :

(1) आन्तरिक ऋण – जिसमें निम्न प्रकार से स्रोतों से प्राप्त ऋण शामिल हैं

- बाजार ऋण :- राज्य विकास ऋण, पावर बॉण्ड आदि।
- राष्ट्रीय लघु बचत निधी (NSSF) द्वारा जारी विशेष प्रतिभूति प्रपत्र
- बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण जिनमें मुख्यतः नाबार्ड, एलआईसी, जीआईसी, एनसीडीसी आदि वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण हैं।

(2) केन्द्र से लिया गया ऋण एवं अग्रिम

(3) लोक खाते से लिया गया ऋण जिसमें निम्न स्रोतों से प्राप्त ऋण शामिल हैं

- लघु बचत, राज्य भविष्य निधी आदि से प्राप्त ऋण।
- आरक्षित निधी।
- जमा एवं अग्रिम।

(4) आकस्मिता निधी से प्राप्त राशि

विभिन्न स्रोतों से ली गई ऋण राशि

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट "State Finances A Study of Budget of 2010-11" के अनुसार राज्य द्वारा अलग अलग स्रोतों से ली गई ऋण राशि को सारणी सं. 10 में दर्शाया गया है। इसके बारे में संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है :

• राज्य विकास ऋण

राज्य विकास ऋण, राज्य सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से प्रतिभूति (सिक्क्योरिटी) प्रपत्रों का बेचान किया जाता है जिससे प्राप्त राशि राज्य सरकार पर बाजार से लिये गये ऋण के रूप में भारित होती है। राज्य की बकाया देनदारियों में करीब एक तिहाई हिस्सा राज्य विकास ऋणों (SDL-State Development Loan) का है, जिनमें विगत वर्षों से लगातार वृद्धि होती चली आ रही है। प्रत्येक राज्य सरकार एक निश्चित सीमा तक इस प्रकार की प्रतिभूतियां जारी कर सकती है। राज्य विकास ऋणों के तहत प्रतिभूतियों का बेचान सामान्यतया नीलामी के द्वारा होता है। इन ऋणों पर ब्याज भुगतान हर छः माह में किया जाता है। बजट आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2012 के अंत तक राज्य विकास ऋणों के रूप में राज्य पर करीब 42,172 करोड़ रु. बकाया होने का अनुमान है जो कि गत वर्ष की तुलना में करीब 19 प्रतिशत ज्यादा है।

• पावर बॉण्ड

राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और ईकाईयों (शहरी स्थानीय निकायों सहित) में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से उनकी ओर से गारंटी और सांत्वना प्रपत्र जारी करती है। चूंकि इनकी गारंटी राज्य सरकार की ओर से दी जाती है, इसलिए यह राशि राज्य पर ऋण के रूप में भारित होती है। चूंकि राज्य सरकारें इन उपक्रमों के लिये बजट प्रावधान नहीं रखती हैं, इसलिए इन उपक्रमों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए पावर बॉण्ड जारी किए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक निगमों की ओर से जारी किये जाने वाले पावर बॉण्ड से प्राप्त ऋण राशि में लगातार गिरावट आ रही है। सारणी सं. 10 के अनुसार मार्च 2005 के अंत में जहां राज्य पर पावर बॉण्ड के तहत बकाया राशि करीब 369 करोड़ रु. थी वर्ष 2010 में अंत में यह करीब 111 करोड़ रु. रह गई है। बजट आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2012 के अंत तक करीब 55 करोड़ रु. बकाया रहने का अनुमान है।

• राष्ट्रीय लघु बचत निधी

राज्य की बकाया देनदारियों में दूसरा बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय लघु बचत निधी (NSSF-National Small Saving Fund) से ली गई उधार राशि है जो कि कुल बकाया देनदारियों का लगभग 25 प्रतिशत है। राष्ट्रीय लघु बचत निधी (एनएसएसएफ) का सृजन भारत की समेकित निधी से लघु बचत के लेनदेनों का लेखांकन करने और उनका कार्य पारदर्शी एवं स्थायी करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1999 से लोक लेखा में किया गया था। चूंकि एनएसएसएफ लोक लेखा में प्रचालन करता है, इसके लेनदेन केन्द्र व राज्यों के राजकोषीय घाटे को प्रभावित नहीं करते हैं। राष्ट्रीय लघु बचत निधी के

अर्तगत बहुत सी लघु बचत योजनाएँ शामिल होती हैं। जिनमें प्रमुखतः डाकघर बचत खाता, वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय बचत प्रपत्र, किसान विकास पत्र, लोक भविष्य निधी आदि शामिल हैं। विगत वर्षों के दौरान यद्यपि इस निधी से ली गई उधार राशि तो बढ़ी है लेकिन कुल बकाया देनदारियों के प्रतिशत रूप में इसमें गिरावट हो रही है। मार्च 2005 के अंत में कुल बकाया देनदारियों में से राष्ट्रीय लघु बचत निधी की कुल बकाया देनदारियों का हिस्सा करीब 31 प्रतिशत (22,485 करोड़ रु.) था जो कि मार्च 2011 के अंत में 22.5 प्रतिशत तक होने का अनुमान है।

• **Ways and Means**

WMA (Ways & Means Advances) भारतीय रिजर्व बैंक से लिए जाने वाले ऋण का एक प्रकार है। जिसके अर्तगत विगत वर्षों में 2007 में ली गई 59 करोड़ रु. की राशि के अतिरिक्त कोई ऋण नहीं लिया गया है अर्थात् राज्य की WM। पर निर्भरता कम हो गई है। Ways & means advances योजना विट्टल कमेटी की सिफारिशों पर वर्ष 1 अप्रैल 1999 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई थी। जिसके तहत विगत 3 वर्षों के दौरान राज्यों को उनकी औसतन राजस्व प्रप्तियों और पूंजीगत व्यय के एक निश्चित अनुपात (2-3 प्रतिशत तक) के रूप में ऋण दिया जाना निश्चित किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य राज्यों के नगदी प्रवाह में प्राप्तियों और व्यय के बीच होने वाले असंतुलन को सही करना होता है। राज्यों द्वारा एडवांस के रूप में प्राप्त की गई राशि प्राप्ति दिनांक के तीन माह के भीतर चुकाई जानी होती है।

• **वित्तीय संस्थानों से ऋण**

राज्य सरकार, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों (जैसे एलआईसी, जीआईसी, एनसीडीसी आदि) से भी ऋण लेती है। राज्य पर बकाया कुल ऋण का करीब 3-4 प्रतिशत हिस्सा इन संस्थाओं से लिए गये ऋण का है। पिछले वर्षों के आकड़ों के आधार पर देखा गया है कि इन संस्थाओं में से सर्वाधिक ऋण नाबार्ड से लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2011 के अंत में राज्य की इन संस्थाओं के प्रति कुल देनदारियां करीब 3,721 करोड़ रु. होने का अनुमान था जिसमें नाबार्ड का हिस्सा 3,323 करोड़ रु था। विगत वर्षों के दौरान राज्य की इन संस्थाओं के प्रति बकाया कुल देनदारियों में आंशिक रूप से वृद्धि हो रही है।

• **केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**

सारणी सं. 10 के अनुसार राज्य की केन्द्र सरकार के प्रति देनदारियों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है बल्कि इसमें आंशिक रूप से गिरावट होती दिखाई दे रही है। इस तथ्य को रिजर्व बैंक ने प्रकाशित रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि विगत वर्षों के दौरान राज्यों को केन्द्र से प्राप्त ऋणों में गिरावट आई है।

• **भविष्य निधी**

राज्य सरकार पर बकाया ऋण का तीसरा बड़ा हिस्सा भविष्य निधी से प्राप्त ऋण राशि है जो कि कुल बकाया देनदारियों का करीब 22-23 प्रतिशत है और इसमें लगातार वृद्धि होती दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि भविष्य निधी से प्राप्त राशि लोक खाते का हिस्सा मानी गई एवं लोक खाते में शामिल ऋण की लागत मानी जाती है। भविष्य निधी के प्रति कुल देयताएँ करीब 11,681 करोड़ रु.

थी जो कि मार्च 2011 के अंत में करीब 21,826 करोड़ रु. हो जाने का अनुमान है।

• आरक्षित निधी

राज्य सरकार की लोक खाते के अंतर्गत अन्य देयता आरक्षित निधी और जमा एवं अग्रिम से प्राप्त ऋण राशि होती है। आरक्षित निधी के प्रति देनदारियों में लगातार गिरावट आ रही है। मार्च 2005 के अंत में जहां आरक्षित निधी के प्रति राज्य की देनदारियां कुल देनदारियों का 1.53 प्रतिशत था वहीं मार्च 2011 के अंत में यह 0.38 प्रतिशत होने का अनुमान है। राज्य की कुल देनदारियों में जमा एवं अग्रिम से प्राप्त ऋण राशि भी कमेतर नहीं है। कुल देनदारियों का करीब 6-7 प्रतिशत जमा एवं अग्रिम का है।

• आकस्मिकता निधी

राज्य की आकस्मिकता निधी से निकाली गई राशि राज्य पर कर्ज के रूप में भारित होती है। मार्च 2008 के अंत में 35 करोड़ रु. से बढ़कर मार्च 2009 के अंत में यह 200 करोड़ रु. हो गई जो कि अभी तक राज्य पर ऋण के रूप में बकाया चल रही है।

कुल मिलाकर, कहा जा सकता है कि राज्य पर कुल बकाया ऋण का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त ऋण के रूप में है और शेष 40 प्रतिशत हिस्सा बाह्य स्रोतों (केन्द्र, भविष्य निधी, आरक्षित निधी एवं जमा एवं अग्रिम आदि) से प्राप्त ऋण है। अगर विगत कुछ वर्षों के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि कुल बकाया देनदारियों में आन्तरिक ऋण का हिस्सा पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ा है। मार्च 2005 के अंत में राज्य पर बकाया देनदारियों में आन्तरिक ऋण का हिस्सा करीब 59 प्रतिशत था जो कि मार्च 2012 के अंत तक करीब 64 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसके विपरीत कुल बकाया ऋण में केन्द्र से प्राप्त ऋण में कमी होती दिखाई दे रही है। मार्च 2005 के अंत में राज्य पर बकाया देनदारियों में केन्द्र से प्राप्त ऋण का हिस्सा करीब 13 प्रतिशत था जोकि मार्च 2012 के अंत तक करीब 7 प्रतिशत होने का अनुमान है। राज्य पर बकाया कुल देनदारियों के बारे में बात की जाए तो भारतीय रिजर्व द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2005 के अंत में राज्य पर कुल बकाया ऋण करीब 59,969 करोड़ रु. था जो कि राज्य बजट आंकड़ों के अनुसार मार्च 2012 के अंत तक करीब 1,07,117 करोड़ रु. होने का अनुमान है। जैसा कि पूर्व में बात की गई है राज्य पर बकाया कर्ज में बढ़ोतरी के साथ साथ ब्याज का दबाव भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार के आर्थिक दबावों से निपटने हेतु सरकार द्वारा करों में बढ़ोतरी की जाती है, खर्च में कमी की जाती है। और विशेषज्ञों के मतानुसार राज्य सरकार द्वारा जब खर्च में कटौती की जाती है तो इसका सबसे पहले असर सामाजिक क्षेत्र के विषयों यथा स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा आदि के बजट पर पड़ता है। इस प्रकार एक और तो करों में वृद्धि से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और दूसरी ओर सामाजिक क्षेत्र पर बजट में कटौती लोगों के जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव दर्शाते हैं। इसके लिए राज्य सरकार कुल बकाया देनदारियों को एक तय स्तर कमी करने और उसमें स्थायित्व लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस संदर्भ में सितम्बर 2011 में एफआरबीएम एक्ट में संशोधन कर यह लक्ष्य तय किया गया है कि "राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए अपने कुल

राजस्थान : वर्तमान वित्तीय स्थिति

बकाया ऋण को सकल राज्य देशी उत्पाद के क्रमशः 39.3, 38.3, 37.3 और 36.5 प्रतिशत तक सीमित करेगी।" अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो राज्य का कुल बकाया ऋण, सकल राज्य देशी उत्पाद के प्रतिशत रूप में कुछ हद तक अधिनियम के तहत निर्धारित लक्ष्यों के निकट है लेकिन आगामी समय वर्षों में राज्य अर्थव्यवस्था के सही रूप से संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी इस क्षेत्र में और सुधार किए जाना बाकी है। जिसके लिए सरकार इस क्षेत्र में प्रयासरत दिखाई दे रही है और यह उम्मीद की जाती है कि आगामी वर्षों में समय रहते इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु और अधिक सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे।

सारणी सं. 10 : राज्य की कुल बकाया देनदारियों का वर्गीकरण

(राशि करोड़ में)

वर्ष	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
राज्य विकास ऋण (1)	पावर बॉण्ड (2)	NSSF (3)	RBI से WMA (4)	LIC से ऋण (5)	GIC से ऋण (6)	NABARD से ऋण (7)	NCDC से ऋण (8)	अन्य संस्थाओं से ऋण (9)	बैंक और वित्तीय संस्थानों से ऋण (योग 5 से 9 तक)	कुल आन्तरिक ऋण (योग 1 से 4 + 10)	केन्द्र से ऋण और अग्रिम (12)	भविष्य निधी (13)	आरक्षित निधी (14)	जमा और अग्रिम (15)	आकस्मिकता निधी (16)	कुल बकाया देनदारियां (योग 11 से 16 तक)	
2005	14359 (23.94)	369 (0.62)	18833 (31.40)	0	991 (1.65)	287 (0.48)	29 (0.05)	487 (0.81)	1884 (3.14)	35445 (59.11)	7915 (13.20)	11681 (19.48)	916 (1.53)	3977 (6.63)	35 (0.06)	59969 (100.00)	
2006	15005 (22.65)	369 (0.56)	22485 (33.95)	0	984 (1.49)	599 (0.90)	33 (0.05)	373 (0.56)	2074 (3.13)	39933 (60.29)	7927 (11.97)	13059 (19.71)	879 (1.33)	4406 (6.65)	35 (0.05)	66239 (100.00)	
2007	16070 (22.58)	221 (0.31)	24426 (34.32)	59	799 (1.12)	927 (1.30)	56 (0.08)	223 (0.31)	2090 (2.94)	42866 (60.23)	7632 (10.72)	14304 (20.10)	1339 (1.88)	4998 (7.02)	35 (0.05)	71174 (100.00)	
2008	19303 (25.01)	184 (0.24)	24203 (31.36)	0	614 (0.80)	1369 (1.77)	92 (0.12)	197 (0.26)	2347 (3.04)	46037 (59.66)	7679 (9.95)	15422 (19.99)	2439 (3.16)	5555 (7.20)	35 (0.05)	77167 (100.00)	
2009	24499 (29.08)	166 (0.20)	23769 (28.22)	0	428 (0.51)	1948 (2.32)	114 (0.14)	172 (0.20)	2733 (3.24)	51167 (60.74)	7614 (9.04)	16827 (19.98)	2526 (3.00)	5901 (7.01)	200 (0.24)	84235 (100.00)	
2010	30610 (33.85)	129 (0.14)	23209 (25.67)	0	243 (0.27)	2609 (2.89)	143 (0.16)	142 (0.16)	3208 (3.55)	57156 (63.21)	7502 (8.30)	18906 (20.91)	463 (0.51)	6191 (6.85)	200 (0.22)	90418 (100.00)	
2010	30611 (33.44)	111 (0.12)	23209 (25.36)	0	243 (0.27)	2609 (2.85)	147 (0.16)	146 (0.16)	3211 (3.51)	57142 (62.43)	7474 (8.17)	18972 (20.73)	765 (0.84)	7175 (7.84)	0 (0.00)	91528 (100.00)	
2011	35448 (35.79)	74 (0.07)	22722 (22.94)	0	58 (0.06)	3323 (3.35)	180 (0.18)	121 (0.12)	3743 (3.78)	61987 (62.58)	7445 (7.52)	21826 (22.03)	342 (0.35)	7444 (7.52)	0 (0.00)	99054 (100.00)	
2012	42172 (39.37)	55 (0.05)	21583 (20.15)	0	52 (0.05)	4139 (3.86)	208 (0.19)	97 (0.09)	4553 (4.25)	68363 (63.82)	7794 (7.28)	23189 (21.65)	311 (0.29)	7460 (6.96)	0 (0.00)	107117 (100.00)	

Source: State Finances A Study of Budgets, Reserve Bank of India, 2010-11

कुल बकाया देनदारियों में से प्रतिशत दर्शाया गया है।

Budget Books, Finance Department, GOR

* BARC Estimates, based on Budget Data

WMA : Ways and Means Advances, NCDC : National Co-operative Development Corporation, NSSF :- National Small Saving Fund

काष्ठक में कुल बकाया देनदारियों में से प्रतिशत दर्शाया गया है।

6. वित्त आयोग और राज्य की बकाया देनदारियां

केन्द्रीय वित्त आयोग : परिचय एवं कार्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के बारे में संक्षिप्त जानकारी पुस्तक के प्रारम्भ में दी गई है कि केन्द्रीय वित्त आयोग का प्रमुख उद्देश्य केन्द्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना करना है। इन वित्तीय संबंधों के अंतर्गत मुख्य रूप से आयकर, उत्पाद शुल्क जैसे करों का केन्द्र व राज्यों के बीच बंटवारे हेतु सिफारिशें प्रस्तुत किए जाना होता है। वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों को केन्द्र सरकार एवं राज्यों द्वारा अमल में लाए जाना होता है। वित्त आयोग के प्रमुख कार्यों को निम्न तीन आधारों में बांटा जा सकता है :

- केन्द्र व राज्यों के बीच करों के विभाजन हेतु सिफारिशें प्रस्तुत करना।
- भारत की संचित निधी से राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों हेतु सिफारिशें प्रस्तुत करना।
- संघ द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले ऋणों हेतु सिफारिशें प्रस्तुत करना।

इस प्रकार वित्त आयोग उपर वर्णित विषयों पर अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को पेश करता है। वर्तमान में 13वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हैं जिसकी कुल अवधि 5 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक) तक है।

राज्य वित्त आयोग : परिचय एवं कार्य

राज्य स्तर पर राज्य एवं स्थानीय निकायों – शहरी एवं ग्रामीण निकायों के बीच करों के बंटवारा, निकायों हेतु सहायता अनुदान एवं इनकी वित्तीय स्थिती को सुधारने हेतु सिफारिशों को प्रस्तुत करने के लिये राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-243 आई और 243-वाई तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2009 के उपबन्धों के अधीन दिनांक 13 अप्रैल 2011 को चौथे राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। आयोग का कार्यकाल 31 दिसम्बर 2011 तक रखा गया है जिसके तहत आयोग द्वारा 1 अप्रैल 2010 से प्रारम्भ होने वाली 5 वर्ष की अवधि के लिए 31 दिसम्बर 2011 तक रिपोर्ट उपलब्ध करवा दी जायेगी। सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते समय निम्न बातें ध्यान में रखने को कहा गया है³⁴—

- राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन एवं स्रोत एवं उनसे अपेक्षाएं क्या हैं—विशेषतः आयोजनागत व्यय हेतु अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध करवाने की अनिवार्यता।
- पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को, उन्हें सौंपे गये दायित्वों को समुचित रूप से निभाने हेतु उनकी आवश्यकताएं क्या होना अपेक्षित है ?
- तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को को देय अनुदान की राशियों का उनकी आय में समायोजन।
- पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अतिरिक्त कर उगाहे जाने सहित

³⁴राजपत्र अप्रैल 2011, वित्त आयोग एवं आर्थिक मामलात, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए विद्यमान शक्तियां।

12वें एवं 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशें

12वें केन्द्रीय वित्त आयोग के गठन के विचाराधीन विषयों में करों के बंटवारा, राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के अलावा निम्न विषयों को और जोड़ा गया जिनके लिए आयोग को सिफारिशें प्रस्तुत करनी थी :

- राज्यों की समेकित निधी को बढ़ावा दिये जाने वाले उपायों का सुझाव देना ताकि राज्य, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को संसाधनों की आपूर्ति कर सकें।
- 11वें वित्त आयोग के आधार पर राजकोषीय सुधारों की समीक्षा करना और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये प्रभावी सुझाव देना।
- मार्च 2004 तक राज्यों की ऋण स्थिती की समीक्षा कर इसके सुधार के लिये उपायों के सुझाव देना।
- विपदा प्रबंध की तत्कालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा करना।
- केन्द्र को पेट्रोल आदि से प्राप्त होने वाले लाभों की कर भिन्न आय के राज्यों के साथ विभाजन के बारे में समीक्षा करना।

13वें वित्त आयोग का गठन 13 नवम्बर 2007 को 2010–15 की अवधि हेतु सिफारिशें पेश करने के लिए किया गया था। इस आयोग की सिफारिशों में शामिल अधिकांशतः विषय वही थे जो कि 12वें वित्त आयोग में शामिल किए गए थे। इसमें कुछ अतिरिक्त विषयों को शामिल किया गया जैसे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का विभाजन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जैसे विषयों का प्रबंधन आदि।

वित्त आयोग की सिफारिशें एवं राज्य की वित्तीय स्थिति के आंकड़ें

जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि 12वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2009–10 के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की गई थी। इस अवधि में राज्य की वित्तीय स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन आगे किया गया है। इससे आगे वाले पांच वर्षों की अवधि (2010–15) से हेतु 13वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हैं।

प्रस्तुत अध्याय में मुख्य तौर पर वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत केवल उन्ही सिफारिशों के बारे में चर्चा की जा रही है जो कि राज्य की राजकोषीय स्थिरता –घाटा एवं ऋण को नियंत्रित किये जाना एवं उनके समुचित प्रबंधन आदि से संबंधित हैं।

12वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिशें

राज्यों की वित्तीय स्थिति सुधारने के संबंध में 12वें वित्त आयोग की सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- ✓ वित्तीय वर्ष 2009-10 की समाप्ति पर राज्य की ब्याज अदायगियां, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत रूप में अधिकतम 15 प्रतिशत तक होनी चाहिये।
- ✓ वित्तीय वर्ष 2009-10 की समाप्ति पर राज्य का ऋण/जीडीपी अनुपात 30.8 प्रतिशत तक होना चाहिये।
- ✓ जीडीपी के अनुपात में राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत तक होना चाहिए।
- ✓ वर्ष 2008-09 तक जीडीपी के सापेक्ष राजस्व घाटा शून्य प्रतिशत तक होना चाहिए।

सिफारिशों के अनुसार महत्त्वपूर्ण प्रावधान

राज्यों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करके के लिए 12वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के संदर्भ में कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधान किए गये जो कि इस प्रकार हैं

- ✓ **एफआरबीएम एक्ट** : बारहवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम बनाने की सिफारिश की गई थी। जिसके तहत राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM Act) पारित किया गया था। अधिनियम के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों को राजस्व एवं राजकोषीय घाटे में उत्तरोत्तर कमी किये जाना था।
- ✓ **केन्द्रीय ऋणों का समेकन** : 12वें वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश की गई कि 31 मार्च 2004 तक अनुबंधित एवं 31 मार्च 2005 को बकाया केन्द्रीय ऋणों को समेकित कर पुनः 20 वर्षों की अवधि हेतु पुर्ननिर्धारित किया जायेगा। जिसकी वापसी 20 वर्षों में समान किशतों में की जाएगी और उन पर 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा। लेकिन इसके साथ यह शर्त भी रखी गई कि राज्यों को यह सुविधा तभी प्रदान की जायेगी जब राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम बनाकर उसके तहत प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।
- ✓ **बट्टा खाता** : 12वें वित्त आयोग द्वारा चूंकि राज्यों को राजस्व घाटा 2008-09 तक शून्य स्तर तक लाने का लक्ष्य दिया गया। जिसके अनुसार राज्यों के लिए राज्यों को अपने राजस्व खर्चों को चलाने के साथ साथ राजस्व घाटे को भी शून्य रखना था। इस संदर्भ में विशेषज्ञों द्वारा माना गया कि राज्यों को अपना राजस्व खर्चा चलाने के लिए बाजार/अन्य स्रोतों से धन लेना पड़ेगा जिससे राज्यों के कर्ज भार में वृद्धि होने की संभावना बढ़ेगी।

राज्यों के लिए इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए वित्त आयोग ने राज्यों को राजस्व घाटे में कमी से जुड़े ऋण को बट्टे खाते में डालने से संबंधित योजना लागू किए जाने की सिफारिश दी। जिसके अनुसार राज्य द्वारा जितना राजस्व घाटा कम किया जायेगा उतनी ही राज्य की केन्द्र को दी जाने वाली वापसी अदायगियां बट्टे खाते में डाल दी जायेंगी अर्थात् माफ कर दी जायेंगी। अगर किसी वर्ष राज्य का राजस्व घाटा शून्य हो जाता है तो उस राज्य

द्वारा दी जाने वाली सम्पूर्ण वापसी अदायगियां बट्टे खाते में डाल दी जायेंगी।

- ✓ **ऋण माफी योजना :** 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र द्वारा राजस्थान राज्य को अनुशंसित ऋण माफी की राशि को राज्य की बजट पुस्तिकाओं में दर्शाया गया है। इस राशि को राज्य की प्राप्तियों में अन्य करेतर राजस्व के तहत सामान्य सेवाओं में "0075-विविध सामान्य प्राप्तियां" के तहत दर्शाया गया है। राजस्थान राज्य को विगत वर्षों में इसके तहत मिली ऋण माफी सारणी सं. 11 में दर्शाई गई है।

सारणी सं. 11 : 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्य को केन्द्र से ऋण माफी राशि

वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 RE	2011-12 BE
राशि करोड़ में	617.40	308.70	308.70	0.00	0.00	0.00

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

BE : बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

सारणी सं. 11 के अनुसार राज्य को विगत वर्षों में वर्ष 2008-09 तक केन्द्र द्वारा ऋण माफी योजना का लाभ मिलता रहा है। जबकि इसके बाद से राज्य को ऋण माफी योजना के अंतर्गत राज्य को कोई छूट नहीं मिली है।

वित्त आयोग की सिफारिशें और राज्य बजट के आंकड़ें

वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि में 12वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशें लागू की गई थी। अतः इस अवधि के दौरान आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों, लक्ष्यों और राज्य बजट के आंकड़ों तुलनात्मक अध्ययन सारणी सं. 12 में दर्शाया गया है। सारणी के अनुसार निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं :-

राजस्व घाटा (राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में) : वर्ष 2004-05 में राज्य का राजस्व घाटा, कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में 12.06 प्रतिशत था जिसे 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2008-09 के अंत तक शून्य प्रतिशत के स्तर तक लाना था। वित्तीय वर्ष 2005-06 में राजस्व घाटा कम होकर 3.17 प्रतिशत और अगले दो वर्षों (2006-07 और 2007-08) राजस्व आधिक्य दर्ज किया गया। इन दो वर्षों में राजस्व आधिक्य, कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में क्रमशः 2.49 प्रतिशत, 5.37 प्रतिशत रहा। इसके बाद वर्ष 2008-09 में राजस्व घाटा 2.47 प्रतिशत और वर्ष 2009-10 में राजस्व घाटा बढ़कर 13.42 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर दर्ज किया गया।

गौरतलब है कि 12वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2008-09 तक शून्य राजस्व घाटा एवं वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक राजस्व आधिक्य प्राप्त किया जाना था। इसके विपरीत वर्ष 2009-10 के अंत में राज्य का राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में 13.42 प्रतिशत दर्ज किया गया।

इसके बाद 13वें वित्त आयोग ने वर्ष 2010-15 तक की पंचवर्षीय अवधि हेतु अपनी सिफारिशें

प्रस्तुत की हैं। आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2014-15 तक राज्य को राजस्व अधिशेष (आधिक्य) प्राप्त करना है। राज्य बजट आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2010-11 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटा 1.93 प्रतिशत (राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में) अनुमानित है। जबकि वित्तीय वर्ष 2011-12 के बजट अनुमानों के अनुसार राजस्व आधिक्य 0.67 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

राजस्व घाटे में कमी किए जाने पर जोर क्यों ?

गौरतलब है कि आयोग द्वारा पेश सिफारिशों के अनुसार राजस्व घाटे को राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कम किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। जिसके पीछे विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्व घाटे को शून्य करने पर जोर इसलिये दिया जा रहा है ताकि राज्य सरकारें अपने दैनिक या नियमित खर्चों के लिये बाहरी स्रोतों से उधार न लेकर बल्कि इन्हे अपनी राजस्व प्राप्ति से ही पूरा करें। क्योंकि राजस्व आय की तुलना में राजस्व खर्चों में वृद्धि करने पर राजस्व घाटे में वृद्धि होने लगती है। अन्ततः राज्य को इन राजस्व खर्चों को पूरा करने के लिए उधार आवश्यकता में वृद्धि होने की संभावना भी बढ़ जाती है जिससे राजकोषीय घाटे में वृद्धि के साथ साथ राज्य के दायित्वों में भी वृद्धि होती है। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि राज्य के कर्ज में बढ़ोतरी के कारण राज्य आय का एक बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में चला जाता है जिससे राज्य विकास हेतु राशि में कमी आने पर इसका विपरीत प्रभाव राज्य विकास पर आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजस्व घाटे को शून्य बनाए रखने के पीछे मूलभाव यह होता है कि आर्थिक संकटों की अनुपस्थिति में किसी भी आर्थिक अभिकरण को वर्तमान खपत का वित्तपोषण करने के लिए उधार नहीं लेना चाहिए। उधार केवल निवेश के प्रयोजन से ही लिया जाना चाहिए।³⁵ इस कारण वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटे को शून्य करने पर जोर दिया जा रहा है और आगामी अवधि में राजस्व आधिक्य प्राप्त करने के प्रयासों पर बल दिया जा रहा है।

राजकोषीय घाटा (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में) : 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों एवं एफआरबीएम एक्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2009-10 तक राज्य के राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाना था। सारणी सं. 12 के अनुसार वर्ष 2004-05 में राज्य राजकोषीय घाटा 4.81 प्रतिशत (जीएसडीपी की तुलना में) दर्ज किया गया। प्रथम तीन वर्षों 2005-06 से 2007-08 तक इसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई जो कि जीएसडीपी की तुलना में क्रमश 3.62 प्रतिशत, 2.32 प्रतिशत एवं 1.75 प्रतिशत रहा। वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण राजकोषीय घाटा बढ़कर क्रमशः 3.10 प्रतिशत एवं 4.03 प्रतिशत हो गया।


इसके बाद 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2014-15 तक जीएसडीपी के 3.0 प्रतिशत तक लाना है। इस क्रम में वर्ष 2010-11 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा एवं 2011-12 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा 2.49 प्रतिशत एवं 2011-12 के बजट अनुमानों के अनुसार 2.42 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

³⁵रिपोर्ट, 13वां वित्त आयोग 2010-15, Page No. 117,

ब्याज अदायगियां और राजस्व प्राप्तियों का अनुपात— 12वें वित्त वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2009—10 तक राज्य द्वारा ब्याज देनदारियों पर किया गया खर्च, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में 15 प्रतिशत तक होना चाहिए था। वर्ष 2004—05 में यह अनुपात 29.12 प्रतिशत था। इसके बाद वर्ष 2005—06 में 25.00 से स्तर से कम होकर वर्ष 2009—10 के में 19.13 प्रतिशत (सारणी सं. 12) दर्ज की गई। वर्ष 2010—11 के संशोधित अनुमानों एवं 2011—12 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य की ब्याज अदायगियां, राज्य की राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत रूप में क्रमशः 16.10 प्रतिशत एवं 15.32 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यद्यपि इस अनुपात में पहले से काफी सुधार हुआ है लेकिन फिर भी यह आयोग की सिफारिशों के अनुरूप निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य की ब्याज अदायगियों और राजस्व प्राप्तियों का अनुपात अधिक होने का मतलब राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे खर्च में प्रबंधन में लचीलापन कम हो रहा है, कठोरता बढ़ रही है। सरकार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे सामाजिक सेवाओं (स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा आदि) एवं विकासात्मक क्षेत्रों पर वांछित व्यय नहीं कर पा रही है।

राज्य का कुल बकाया ऋण एवं जीएसडीपी अनुपात — 12वें वित्त आयोग ने वर्ष 2009—10 के अंत तक राज्यों का कुल बकाया ऋण जीएसडीपी का 30.8 प्रतिशत तक लाने की सिफारिश की थी। वर्ष 2004—05 में यह अनुपात 46.94 प्रतिशत था। इसके बाद सारणी सं. 12 के अनुसार यद्यपि विगत वर्षों में इसमें भी लगातार गिरावट आई है लेकिन फिर भी यह आयोग की सिफारिशों की तुलना में अभी भी अधिक है। ग्राफ सं. 5 में राज्य का बकाया ऋण—जीएसडीपी अनुपात दर्शाया गया है। जिसके अनुसार इसमें लगातार कगरावट हो रही है लेकिन वर्ष 2009—10 में यह अनुपात 35.42 प्रतिशत था जो कि आयोग की सिफारिशों के अनुसार 30.8 प्रतिशत होना चाहिए था।

ग्राफ सं. 5 : राज्य पर कुल बकाया ऋण – जीएसडीपी अनुपात



स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

BE : बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

आर्थिक समीक्षा, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार

वर्ष 2010-11 (संशोधित अनुमान) एवं 2011-12 (बजट अनुमान) के अनुसार यह अनुपात क्रमशः 32.65 प्रतिशत तथा 32.10 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 13वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिये ऋण-जीएसडीपी अनुपात में कमी कर 2014-15 तक इसे 25 प्रतिशत तक लाने की सिफारिश की है। आयोग के अनुसार राज्य द्वारा कुल बकाया ऋण को जीडीपी के 25 प्रतिशत तक के स्तर तक लाने के लिए राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत तक बनाये रखे जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सितम्बर 2011 में राज्य सरकार द्वारा एफआरबीएम एक्ट में किए गये संशोधन के अनुसार राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के लिए अपने बकाया ऋण को सकल राज्य देशी उत्पाद के क्रमशः 39.3, 38.3, 37.3 और 36.5 प्रतिशत तक सीमित करेगी।

राज्यों द्वारा लघु बचत निधी से प्राप्त ऋण :

12वें वित्त आयोग ने राज्यों के बकाया ऋणों के प्रति स्पष्टीकरण दिया कि राज्यों के लिये लघु बचत निधी से प्राप्त ऋणों पर ब्याज दरें अधिक होती हैं, जिसमें केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। आयोग ने बताया कि राज्य उच्च लागत वाले ऋणों के भार से दबे हुए हैं जबकि केन्द्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले 80 प्रतिशत ऋण, खुले बाजार से लिया जाता है जो कि कम लागत का होता है।

केन्द्र द्वारा राज्यों की उधार सीमा तय करने का फार्मूला :

13वें वित्त आयोग ने राज्यों को राजकोषीय घाटा कम करने के साथ-साथ आर्थिक विकास दर को उचित दर पर बनाये रखने के लिए केन्द्र द्वारा उधार सीमा निर्धारण करने का फार्मूला प्रस्तावित किया है। यह फार्मूला राज्य के राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी के साथ अनुपात, राज्य की जीएसडीपी विकास दर एवं जीएसडीपी के आंकड़ों पर आधारित है। इस फार्मूले के आधार पर अगर राजस्थान की उधार सीमा की गणना की जाये तो वर्ष 2009-10 में राज्य की उधार सीमा करीब 6,669 करोड़ रु. होती है। जबकि राज्य द्वारा वर्ष 2009-10 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की निवल उधार करीब 10,092 करोड़ रु. अनुमानित की गई है।

राज्य द्वारा बकाया देनदारियों का भुगतान :

भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट "State Finances : A study of Budgets of 2010-11" के अनुसार आने वाले वर्षों में राज्य की बकाया देनदारियों में वृद्धि होने का अनुमान है। जिसमें से वर्ष 2012-13 और इसके पश्चात राज्य के पुर्नभुगतान में अधिक वृद्धि होगी क्योंकि राज्य की कुल बकाया प्रतिभूतियों का करीब 12.81 प्रतिशत भुगतान इस अवधि (2012-13) के बाद किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार की करीब 12.81 प्रतिशत प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि 2013 में पूर्ण हो जायेगी जिसके तहत राज्य सरकार को बाजार उधारियों का पुर्नभुगतान करना होगा।³⁶

रिपोर्ट के अनुसार राज्य द्वारा 2012-13 के बाद बाजार उधार के एक बड़े हिस्से का

³⁶Page No.55, Maturity Profile of State Government Securities, State Finances A Study of Budgets of 2010-11.

पुर्नभुगतान किया जाएगा। इस दौरान राज्य द्वारा वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान ऋण विनिमय योजना³⁷ (Debt Swap Scheme) के तहत लिया गया ऋण चुकाया जायेगा। मार्च 2005 के अंत तक पिछले 3 वर्षों (2002-03 से 2004-05) में राजस्थान द्वारा ऋण विनिमय योजना के तहत करीब 5,798 करोड़ रु. चुकाए गये हैं। राज्य द्वारा यह राशि खुले बाजार (प्रतिभूतियां जारी कर) एवं लघु बचत योजनाओं से ऋण (कम ब्याज दर पर) लेकर केन्द्र सरकार को अधिक ब्याज दर वाले ऋणों के बदले चुकाए गये हैं ताकि राज्य पर ब्याज के बोझ को कुछ कम किया जा सके।

इसके अतिरिक्त इन पिछले 3 वर्षों की अवधि में करीब 639 करोड़ रु. की राशि साधारण पुर्नभुगतान के तहत चुकाई गई है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2002 को उच्च ब्याज दर वाले 5,781 करोड़ रु. के ऋण के बदले 6,437 करोड़ रु. चुकाए गये हैं।

राज्य द्वारा बकाया देनदारियों में वर्ष 2017-18 के बाद अत्यधिक वृद्धि

वर्ष 2017-18 के पश्चात राज्य द्वारा ऋणों की पुर्नअदायगी राशि में बहुत अधिक वृद्धि होने का अनुमान है। क्योंकि राज्य की बकाया प्रतिभूतियों का करीब 58.29 प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2017-18 के पश्चात राज्य सरकार को चुकाना होगा। यह राशि वर्ष 2012-13 में राज्य द्वारा चुकाई जाने वाली प्रतिभूतियों की अपेक्षा करीब चार गुनी होगी। राज्य पर बकाया यह कर्ज वर्ष 2008-09 में मंदी के दौरान लिया गया था। राज्यों की अर्थव्यवस्था में मांग पैदा करने के लिये इनके जीएसडीपी का 0.5 प्रतिशत तक उधार लेने की छूट केन्द्र सरकार द्वारा को दी गई थी। जिससे राज्य की देनदारियां इस अवधि के दौरान ज्यादा हो गईं और ये बकाया देनदारियां राज्य द्वारा 2017-18 से चुकाई जायेंगी।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि 12वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के अनुसार केन्द्र व राज्य सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उनके अनुरूप राज्य बहुत पीछे रहा है। यद्यपि इस अवधि के दौरान 2 वर्षों (2008-09 से 2009-10 तक) की मंदी के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रही है। राज्य की विकट भौगोलिक परिस्थितियों, जलवायु, सीमित आय के संसाधनों की उपलब्धता आदि के कारण यहां की अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। राज्य में इन वित्तीय विषमताओं के लिये आर्थिक मंदी के साथ साथ राज्य की आर्थिक नीतियों की भी भूमिका बताई जा रही है। अतः राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिये आवश्यक है कि राज्य की आर्थिक नीतियों में सुधार किया जाए।

इसके अतिरिक्त राज्य पर लगातार बढ़ रहा कर्ज का बोझ राज्य की देनदारियों, एवं ब्याज अदायगी में वृद्धि कि साथ साथ राज्य की उस आय को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जोकि राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के क्षेत्रों में विकास पर निवेश की जानी चाहिए। एक आम आदमी के दैनिक जीवन में राजस्थान जैसे विकट परिस्थितियों वाले राज्य में दैनिक गुजारा चला पाना वैसे ही मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ, रोजमर्रा की वस्तुओं पर आर्थिक मंदी के कारण कम उत्पादन और महंगाई के चलते आम वस्तुओं पर कर में बढ़ोतरी सहित अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। जिसके उसका जीवन स्तर विपरीत रूप से प्रभावित होता है।

आमतौर पर माना जाता है कि राज्य की जो राजस्व आय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, रखरखाव

³⁷ केन्द्र सरकार द्वारा ऋण विनिमय योजना (Debt Swap Scheme) राज्यों पर लगातार बढ़ती ब्याज देनदारियों के दबाव को कम करने के लिये वित्तीय प्रबंधन के तहत वर्ष 2002-03 से 2004-05 की अवधि के लिये जारी की गई थी। स्कीम के तहत राज्यों द्वारा केन्द्र को उच्च ब्याज दरों वाले ऋणों का पूर्व भुगतान किया जाना था। इस हेतु राज्यों को लघु बचत और खुले बाजार से कम ब्याज दरों पर ऋण लेकर केन्द्र सरकार को उच्च ब्याज दरों वाले बकाया ऋणों का पुर्नभुगतान किया जाना था।

एवं प्रबंधन जैसे चालू खर्चों में काम आनी चाहिए उसका एक बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता है। राज्य को अपने नियमित खर्चों को चलाने के लिए राशि कम पड़ने पर बाहरी स्रोतों से कर्जा लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में राज्य के आर्थिक विकास की बात कैसे की जा सकती है ? जब तक राज्य पर बढ़ रहा कर्ज का यह बोझ कम नहीं होगा तब तक राज्य के आर्थिक विकास के साथ एक आम आदमी के आर्थिक विकास को उसमें जोड़ना तर्कसंगत नहीं है।

अतः आवश्यक है कि राज्य पर बकाया कर्ज में जल्द ही कमी की जाये एवं आने वाले वर्षों में इस पर नियंत्रण किया जाए। इस संदर्भ में राजकोषीय घाटे में कमी लाने जाने के साथ साथ 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों को राज्य में न सिर्फ लागू किया जाये बल्कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति किए जाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाने चाहिए। राज्य में वित्तीय क्षेत्र में इस सुधार का सर्वोत्तम परिणाम एवं राज्य का संवांगीण विकास तभी संभव हो पाएगा जब कतार में अन्तिम खड़े आदमी का कल्याण संभव होगा।

राजस्थान : वर्तमान वित्तीय स्थिति

सारणी सं. 12: राज्य का वित्तीय स्तर एवं 12वें तथा 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों का तुलनात्मक अध्ययन

विवरण	वर्ष 2004-05 के अंत में स्थिति	12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित लक्ष्य (2009-10 के अंत तक)	पांच वर्ष की अवधि 2005-2010 के दौरान					13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित अनुसार राजस्व अधिशेष	2010-11 संशोधित अनुमान	2011-12 बजट अनुमान
			2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10			
राजस्व घाटा (राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत रूप में)	-12.06	0.00 प्रतिशत (2008-09 के अंत तक)	-3.17	2.49	5.37	-2.47	-13.42	2014-15 तक राजस्व अधिशेष	-1.93	0.67
राजकोषीय घाटा (राज्य के जीडीपी के प्रतिशत रूप में)	4.81	3.00	3.62	2.32	1.75	3.10	4.03	2011-12 तक 3 प्रतिशत	-2.49	2.42
राज्य की ब्याज अदायगियां/राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत रूप में)	29.12	15.00	25.00	22.28	19.31	18.60	19.13	--	16.10	15.32
राज्य का कुल बकाया ऋण/ जीडीपी (प्रतिशत रूप में)	46.94	30.8	46.57	41.46	39.61	37.40	35.42	2014-15 तक 25 प्रतिशत	32.65	32.10

BE : बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान, NA : Data Not Available

स्रोत : राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं प्रबंधन अधिनियम प्रपत्र

बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

आर्थिक समीक्षा, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार

References :

- राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं प्रबंधन अधिनियम 2005 अधिसूचना प्रपत्र
- भारतीय अर्थव्यवस्था, दत्त सुन्दरम, 2010
- आर्थिक समीक्षा, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान
- Business Environment, T.R.jain, Mukesh Trehan & Ranju Trehan
- Fiscal Deficit of States in India, J.R.Gupta, 2001
- Public Finance and International Trade, T.R.Jain, 2009-10
- The Basics, Erik Banks, 2010
- Economic Survey, Ministry of Finance, GOI
- State Finances : A Study of Budgets, RBI
- The Constitution of India, P.M.Bakshi
- Budget Books, Finance Department, Government of Rajasthan
- Budget at a Glance, Directorate of Economics & Statistics, Rajasthan
- Budget Study, Directorate of Economics & Statistics, Rajasthan
- Recommendation Report, Finance Commission
- Budget Study : An Introduction, BARC Publication, 2010

Important Websites

- www.rajasthan.gov.in
- www.financerajasthan.gov.in
- www.statistics.rajasthan.gov.in
- www.lowmin.nic.in
- www.divest.nic.in

राजस्थान : वर्तमान वित्तीय स्थिति

बार्क टीम

: नेसार अहमद
मुकेश कुमार बंसल
महेन्द्र सिंह राव
भूपेन्द्र कौशिक
सीताराम मीणा

सलाहकार

: डॉ. जिन्नी श्रीवास्तव

"Budget Links Policy to People and People to Policy"



बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

पी-1, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राज.)

फोन/फैक्स: 0141-238 5254

ई-मेल- info@barcjaipur.org

वेबसाईट- www.barcjaipur.org